खण्ड-344, अंक-1
गुरूवार, 12 आषाढ़, शक संवत् 1902
(3 जुलाई, 1980 ई0)

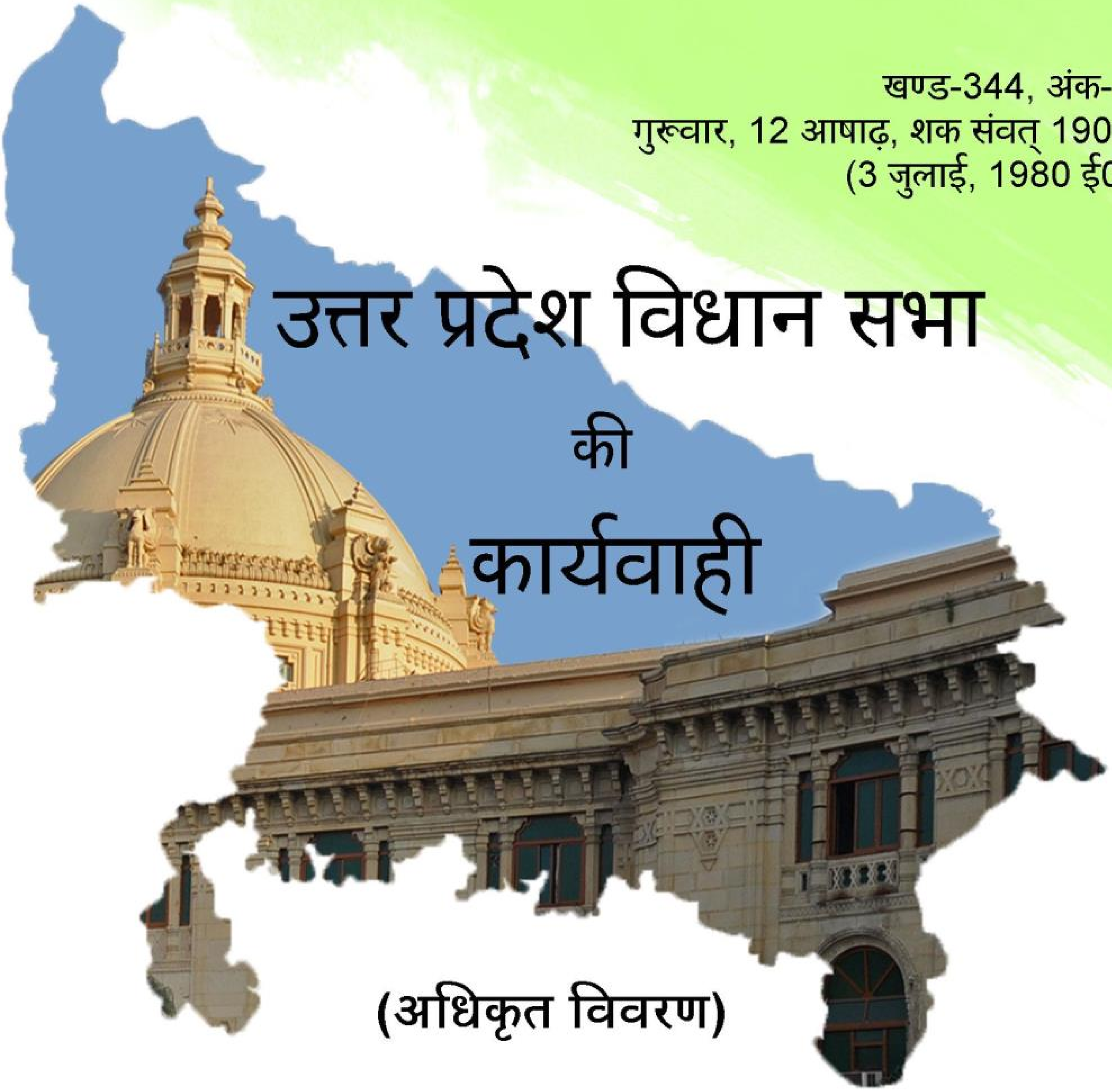

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 344 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1980

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1–5
श्री धर्म सिंह, सदस्य, विधान सभा की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में श्री राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की सूचना	5
कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति एवं उपवेशन की वैधानिकता के संबंध में औचित्य का प्रश्न (जारी)	5–8
शपथ ग्रहण न करने वाले सदस्यों के नामों की घोषणा एवं चेतावनी ..	8
कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति एवं उपवेशन की वैधानिकता के संबंध में औचित्य का प्रश्न	8–13
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री कार्यकारी अध्यक्ष, द्वारा आंशिक पाठ	13–14
दिनाँक 4 व 5 जुलाई, 1980 को सदन स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	14
भारत के भू0पू0 राष्ट्रपति श्री वी0 वी0 गिरि के निधन पर शोकोद्गार ..	14–17
उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री चन्द्र भानु गुप्त के निधन पर शोकोद्गार ..	17–21
संसद सदस्य श्री संजय गाँधी के निधन पर शोकोद्गार ..	21–26
सभापति उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, डा0 वीरेन्द्र स्वरूप के निधन पर शोकोद्गार	26–28
युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के निधन पर शोकोद्गार ..	28–31
विधान सभा सदस्य श्री सादिक अली खां के निधन पर शोकोद्गार ..	31–32
भू0 पू0 सदस्य श्री महावीर त्यागी, श्री वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री रघुराज विनायक धुळेकर, श्री अखण्ड प्रताप सिंह, श्री नारायण दास, श्री काजी मोहम्मद अदील अब्बासी, श्री महेश सिंह, श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री बंशीधर शुक्ल, श्री उदित नारायण शर्मा, श्री अजीज इमाम, श्री भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री कृपा शंकर, श्री उग्रसेन आदि के निधन पर शोकोद्गार	32–36
सदन की बैठक 4 व 5 जुलाई, 1980 को न होने एवं 7 जुलाई, 1980 को अध्यक्ष का निर्वाचन होने के संबंध में सूचना ..	36
आज की बैठक स्थगित किये जाने का सुझाव	36
नत्थी	37–43

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 3 जुलाई, 1980

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में 12 बजकर 30 मिनट पर कार्यकारी अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—401

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोण्डा)
अजहर इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मोहम्मद खां, श्री (फरुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खाँ नश्तर, श्री (कानपुर)
अमर नाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद, श्री (बरेली)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहाँपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैय्या) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोण्डा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित—आँग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा० (आगरा)
केदार, श्री (आजमगढ़)
केदार नाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)

गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवरधन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैया, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बाँदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोण्डा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (जिला शाहजहाँपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनारायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर, श्री (जिला जौनपुर)
तेज बहादुर, श्री (जिला पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोण्डा)
दीपू, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनीराम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खाँ, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परवीन कुमार, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायन, श्री (हमीरपुर)

प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रिंय दर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायू)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलबीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोण्डा)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्धपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर, श्री (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रज बल्लभ बाबू, श्री (बदायू)
ब्रह्मदत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवान दीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखालाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोण्डा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुन्शीलाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोण्डा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोण्डा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लनजी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोण्डा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रतीराम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्र, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राजकिशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार, श्री (आजमगढ़)
राजपती देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाँडेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)

राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण, श्री (जिला जौनपुर)
राम कृष्ण, श्री (जिला मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम, श्री (बाराणसी)
राम जी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (एटा)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष, श्री (गाजीपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बाँदा)
रिजावनुर्रहमान, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहाँपुर)
रुल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरीसिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल, श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्याभूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार, श्री (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्रामदास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह राना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नरायन, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बाँदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बाँदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव प्रताप सिंह, श्री (बाँदा)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डा० (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)

श्याम लाल बाजपेई, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्री कृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, राजकुमार (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सन्त बक्श रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद सरोज, श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखबीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमाँश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरनरायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बाँदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरी शंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

नोट--मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

श्री धर्म सिंह, सदस्य, विधान सभा की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में श्री राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की सूचना

सचिव, विधान सभा--

माननीय सदस्यगण, आपको ज्ञात होगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त है। अतः श्री राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 180 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके 18 जून, 1980 से माननीय श्री धर्मसिंह को अध्यक्ष पद के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त किया है। श्री राज्यपाल ने इस संबंध में जो आदेश दिये हैं वे निम्न प्रकार हैं--

"चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद रिक्त हैं;

अतएव "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 180 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं, चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, श्री धर्मसिंह को, जो कि शिकारपुर निर्वाचन क्षेत्र (बुलन्दशहर) से विधान सभा के सदस्य हैं, उस समय तक के लिये, जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 178 के उपबन्धों के अनुसार विधान सभा द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन न कर लिया जाय, अध्यक्ष पद के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता हूं।

कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति एवं उपवेशन की वैधानिकता के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने एक औचित्य के प्रश्न की सूचना दी थी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष--

कृपा करके बैठें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने एक औचित्य के प्रश्न की सूचना दी थी। मैं चाहता हूं कि आप नियमानुसार मेरा नाम पुकारें।

श्री काशीनाथ मिश्र--

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है कायदे, कानून और नियमों के अन्तर्गत उस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता। आप किस नियम के अन्तर्गत बुलायेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरा एक औचत्य का प्रश्न है।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैंने एक सूचना दी थी। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष--

कृपा करके आप बैठें। अभी कोई कार्य नहीं शुरू हुआ है। जब कार्य यहाँ आरम्भ होगा उसके बाद जो जो आपने बातें कहीं हैं वह ली जायंगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैंने एक वैधानिक आपत्ति की है। इसलिये मेरी बात सुन लें। औचित्य का प्रश्न यह है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

औचित्य का प्रश्न होगा कैसे? सदन के सामने कोई कार्य नहीं है।

(शोर)

श्री कार्यकारी अध्यक्ष--

आप भी कृपा करके बैठें। जब अध्यक्ष खड़े हों, नियमानुसार सारे माननीय सदस्यों को बैठ जाना चाहिये। आप कृपा करके बैठें। आप यह अनुचित कर रहें हैं। मैंने आपसे निवेदन किया, कृपा करके बैठें।

श्री काशी नाथ मिश्र--

यह जो सूचना दी गयी है।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष--

काशीनाथ जी, आप बैठिये। जो कार्यक्रम है उसके अनुसार जहाँ-जहाँ जिसका स्थान है, उस वक्त आपके औचित्य के प्रश्न और जो दूसरे प्रश्न आप उठाना चाहते हैं उन पर कार्यवाही होगी। मैं आगे बढ़ता हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जो सूचना दी गयी है मेरी उस पर वैधानिक आपत्ति है।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष--

आपको कोई अधिकार नहीं है, जब अध्यक्ष खड़े हों तब नियमानुसार आप को बैठ जाना चाहिए।

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष--

अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने शपथ नहीं ग्रहण की है।

श्री राजन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा एक औचित्य का प्रश्न है।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष--

मै आज्ञा नहीं दे रहा हूं यह नियम के विरुद्ध है। आप कृपा करके बैठ जायं। कृपया आप लोग बैठ जायं। मेरी बात सुनें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरा अनुरोध है कि यह आदरणीय सदन ब्रिटिश परम्पराओं के आधार पर चलता है और अभी तक जो परम्परा रही है . . .

(व्यवधान)

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, यह किस नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जिस प्रकार मिश्र जी आपत्ति कर रहे हैं उस प्रकार यह सदन नहीं चलेगा। (व्यवधान) मान्यवर, आपकी बिना इजाजत के वह बोल रहे हैं। इसलिये वह आपका अपमान कर रहे हैं। इस प्रकार यह सदन नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने लिखित सूचना दी थी तो उसके संबंध में जानना चाहता हूं कि मेरा वह पत्र आपको मिला है कि नहीं ?

श्री कार्यकारी अध्यक्ष--

आपका औचित्य के प्रश्न की सूचना प्राप्त हो गयी है और एजेन्डे के अनुसार जब उसका समय आयेगा तब आप उसको उठा सकते हैं। अभी नहीं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो सूचना सचिव ने दिया है उस पर ही मैं वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं। आज तक जो परम्परा रही है उसको आप तोड़ने जा रहे हैं। हम और आप न रहें लेकिन यह सदन परमानेन्ट है। मैंने आपके चम्बर में मिलकर आपको लिखित सूचना दी। नियमों में प्राविधान है कि यदि कोई सदस्य औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता है तो वह अध्यक्ष को सूचित करेगा और सूचना की दो प्रति देगा। मैंने सूचना की दो प्रतियाँ देकर अनुरोध किया था कि एक प्रति नेता सदन को भेज दें। तो आप कृपया मुझे अनुमति दें कि जो सचिव ने बात उठायी है कि राज्यपाल ने अध्यक्ष महोदय का नामाँकन कर दिया। मेरी स्पष्ट आपत्ति है और आप उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 14 (2) को देखें।

(व्यवधान)

श्री गोरेलाल शाक्य--

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने आपत्ति उठायी है उसका समाधान तो अध्यक्ष महोदय ने कर दिया है।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं। जो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने औचित्य का प्रश्न उठाया है तो उसका जब नम्बर आयेगा तब वह उठायेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, एजेन्डे में कहाँ पर औचित्य का प्रश्न लिया जायेगा। उसको कौन स्थान दिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष—

अब मैं दूसरा विषय ले रहा हूं।

शपथ ग्रहण न करने वाले सदस्यों के नामों की घोषणा एवं चेतावनी

श्री कार्यकारी अध्यक्ष—

जिन माननीय सदस्यों ने अभी तक शपथ नहीं ग्रहण की है उनका नाम मैं पढ़े दे रहा हूं। यदि वह उपस्थित हों तो कृपया सदन में आकर शपथ ले लें। यदि यहाँ नहीं हैं तो बाद में मेरे चैम्बर में आ जाय और वहाँ शपथ ले लें क्योंकि जिन्होंने शपथ नहीं लिया है उनको यहाँ पर बैठने का अधिकार नहीं है और वह अजनबी समझे जायेंगे, स्ट्रेंजर हैं और उन पर प्रतिदिन का 500 रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी ने शपथ नहीं ली है क्योंकि वह अस्पताल में है। उनका लिखकर आ गया है कि वे बाद में शपथ ले लेंगे। उसके बाद दूसरे माननीय सदस्य डाक्टर धर्मपाल (अलीगढ़), तीसरे माननीय राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह (आगरा), चौथे माननीय श्री वीर बहादुर सिंह, पाँचवे माननीय श्री हरिद्वार पाण्डेय (गोरखपुर) के है इन पाँचो माननीय सदस्यों को यदि इस वक्त यहाँ पर मौजूद हों तो यहाँ पर, नहीं तो मेरे चेम्बर में आकर शपथ ग्रहण कर लेनी चाहिए। क्योंकि उनको अधिकार नहीं होगा कि यहाँ पर बैठकर इस कार्यवाही में हिस्सा लें बगैर उनके द्वारा शपथ ग्रहण किये।

श्री मोहन सिंह—

एक सज्जन और हैं जो आगे बैठे है जिनका नाम आपने नहीं लिया। यह अजनबी है। आप उनके बारे में कार्यवाही करें।

(हंसी)

कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति एवं उपवेशन की वैधानिकता के संबंध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री कार्यकारी अध्यक्ष—

अब मैं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त को आज्ञा देता हू कि वे अपने औचित्य के प्रश्न को प्रस्तुत करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि हमारे यहाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के संदर्भ में जो नियमावली है उसके नियम 14 (2) को देखने का कष्ट करें "सदन की बैठक तभी विधिवत् गठित होगी जबकि उसमें अध्यक्ष अथवा कोई अन्य सदस्य पीठासीन हो, जो संविधान या इन नियमों के अन्तर्गत सदन की बैठक में पीठासीन होने के लिये सक्षम हो।

मेरा निवेदन यह है आज की जो परिस्थिति है उसके अनुसार आज जो पीठासीन अधिकारी हैं वह नियमों के अधीन या संविधान के तहत निर्वाचित अध्यक्ष नहीं है इसलिए यह उपवेशन विधिवत गठित नहीं है। हमारी नियमावली के नियम 8 को देखने की कृपा करें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

किस नियम के अन्तर्गत आपने माननीय सदस्य को बोलने की परमीशन दी है (व्यवधान) मैं अधिकार रखता हूं। आपने किस नियम के अन्तर्गत....

श्री कार्यकारी अध्यक्ष—

आप बैठ जायं।.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह विधान सभा है। यहाँ किसी भी सदस्य के बोलने, भाषण करने के नियम बने हुये हैं किताब में....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या आपकी व्यवस्था पर कोई आपत्ति कर सकता है?

श्री कार्यकारी अध्यक्ष—

कृपा कर आप बैठ जायं। राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने लिख कर दिया है जिसके बारे में वह अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे यहाँ 1950 से जब नियमावली बनी तथा उसके बाद भी हमेशा परम्परा रही है, आप नियमावली के नियम 8 को देखने की कृपा करें "अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को किया जायेगा जो कि राज्यपाल नियत करें और सचिव उसकी सूचना प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे। इस संबंध में आप को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 25 तारीख को अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि की घोषणा की गई थी। संजय गाँधी जी के देहावसान के कारण कार्यक्रम रद्द किया गया। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम निकला। हम पूरी उम्मीद करते थे कि अध्यक्ष का निर्वाचन राज्यपाल के सम्बोधन से पहले हो जायगा। मैं पूरी जानकारी के साथ कहता हूं कि संसार के किसी भी देश में ऐसा कोई उदाहरण या परम्परा नहीं है कि राज्यपाल के सम्बोधन के पहले अध्यक्ष का निर्वाचन न हुआ हो अर्थात् निर्वाचित अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यपाल ने सदन को सम्बोधित किया हो। यहाँ पर निर्वाचित अध्यक्ष होना चाहिए था।

एक बात और कहना चाहता हूं। आर्टिकिल 179 देखने की कृपा करें। विधान सभा भंग होने की दशा में भी अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं होता। इसके बारे में विचार करें। उपाध्यक्ष यहाँ पर थे। इसके अन्तर्गत अध्यक्ष के पद की रिक्तता की स्थिति फरवरी में नहीं आती थी। मेरे मतानुसार अगर उपाध्यक्ष को आपने मनी बिल का प्रमाणपत्र देने के लिए मान्य कर लिया तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिये अध्यक्ष न माना जाय।

इसलिये विधान सभा का जो पहला सत्र होने जा रहा था उससे पहले माननीय जगन्नाथ प्रसाद जी उपाध्यक्ष थे अध्यक्ष का कार्य कर रहे थे। मनी बिल्स के लिये तो उनकी जरूरत रहती थी लेकिन आज उनको क्यों छोड़ दिया गया? आज उन्हीं की अध्यक्षता में यह उपवेशन होता और फिर अध्यक्ष के निर्वाचन के लिये तिथि घोषित की जाती और हम अध्यक्ष का निर्वाचन करते। लेकिन मान्यवर, ऐसा नहीं किया गया। 180 का हवाला देकर रिक्तता की बात कही गयी और यह कहा गया कि रिक्तता की स्थिति में राज्यपाल को मनोनयन का अधिकार है। यह अधिकार मान भी लिया जाय तो रिक्तता की स्थिति पहले थी, अब नहीं है। लिहाजा नामाँकन का प्रश्न नहीं पैदा होता। विधान सभा के विधिवत् निर्वाचित सदस्य यहाँ बैठे हैं जो अध्यक्ष का निर्वाचन आज ही कर सकते हैं। लेकिन सत्तारूढ़ दल में आपसी गुटबन्दी की जो स्थिति है उसे रास्ता देने के लिये ही

(* * * *)

नोट—(***) यह अंश श्री कार्यकारी अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने माननीय राज्यपाल महोदय के प्रति जो बात कही है वह नहीं लिखी जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। मेरी साफ मंशा यह है कि माननीय राज्यपाल जी को अनुच्छेद 180 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाहक अध्यक्ष को मनोनीत करने का कोई अधिकार नही था, न उसकी आवश्यकता थी, क्योंकि आप संविधान की धारा 180 (2) को देखने की कृपा करें "अध्यक्ष विधान सभा की किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा, यदि वह भी अनुपस्थित हो; तो ऐसा व्यक्ति, जो सभी की प्रक्रिया के नियमानुसार निर्धारित किया जाय, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हो, तो अन्य व्यक्ति, जिसे सभा निर्धारित करे, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।" हम चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही विधिवत् चले। उसमें कोई बाधा उपस्थित न हो। इसलिये हमारा सुझाव है कि आज सदन की कार्यवाही प्रारम्भ करने के पहले हम अध्यक्ष का निर्वाचन पहले कर लें। लेकिन प्रश्न यह होगा कि इस समय अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे हो सकता है ? मेरा निवेदन है कि संविधान के नियम 178 को देखने की कृपा करें। उसमें साफ लिखा हुआ है जल्दी से जल्दी ऐसा किया जायगा। हमने नियमों में यह व्यवस्था कर रखी है। नियम 8 (3) के अन्तर्गत राज्यपाल समय और तिथि का निर्धारण करेंगे। यह आदरणीय सदन इस 8 (3) को निलम्बित भी कर सकता है। इसके निलम्बन के लिये प्रस्ताव हो जाय और अध्यक्ष कौन होगा उसे आज ही चुन लिया जाय। इसमें समय तथा तिथि के निर्धारण की आवश्यकता नहीं रहेगी और नियम के निलम्बन से हम ऐसा कर सकते हैं।

कार्यकारी अध्यक्ष आसन पर विराजमान है नता सदन भी उपस्थित है लिहाजा अध्यक्ष के इसी समय चुने जाने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन अगर राज्यपाल महोदय के द्वारा गवर्नर के द्वारा अध्यक्ष के मनोनयन की परम्परा पड़ जायगी तो विश्व के अन्दर जो लोग जंनतत्र में आस्था रखते है उसको इससे बड़ी निराशा होगी। इस लिये आज का यह उपवेशन अवैधानिक है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का हम आज ही निर्वाचन कर सकतेहैं।

***श्री काशीनाथ मिश्र—**

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस नियम का हवाला दिया है उसको तोड़ मरोड़ कर उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की ह और नियम के विपरीत उन्होंने भाषण दिया है। सदन का उपवेशन तभी विधिवत् गठित होगा जब उसमें अध्यक्ष, अथवा कोई अन्य सदस्य पीठासीन हों। इसका मतलब यह है कि "अथवा" के बाद जो लिखा है वह भी अपनी जगह महत्व रखता है "अथवा" के बाद इसमें लिखा है "कोई अन्य सदस्य पीठासीन हो जो संविधान या इन नियमों के अन्तर्गत सदन के उपवेशन में पीठासीन होने के लिये सक्षम हो" और अभी जो सूचना सचिव ने पढ़कर सुनाई है उसमें महामहिम राज्यपाल महोदय ने आपको अधिकृत किया है कि आप पीठासीन अधिकारी की हैसियत से सदन की कार्यवाही चला सकते हैं। इसमें संविधान के विपरीत कोई आचरण नहीं है।

मान्यवर, माननीय सदस्य भी पुराने है और मैं भी पुराना हूं। यहाँ पर और इसी सदन में बगैर अध्यक्ष के चुनाव के राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण के समय यहाँ पर सदन की स्थिति नहीं रहती। वैधानिक सदन का गठन उस समय नहीं समझा जाता। सदन के अन्दर राज्यपाल की मौजूदगी स्टेट की मौजूदगी समझी जाती है। उस वक्त विधिवत् सदन नहीं रहता। उस वक्त अध्यक्ष का रहना जरूरी नहीं है। इसके अतिरिक्त आज सदन के अन्दर कोई संसदीय बिजनेस भी विचाराधीन नहीं है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, शोक प्रस्ताव ही आज केवल हैं। कोई विषय नीति सम्बन्धी आज नहीं है जिसमें अध्यक्ष की आवश्यकता पड़े। आज ऐसा कोई मामला

***वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।**

सदन के सामने नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आज सदन को चलने दें और जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है उसको खारिज कर दें, खत्म कर दें।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री कार्यकारी अध्यक्ष---आप लोग कृपया शांति रखें।

श्री राम स्वरूप वर्मा---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया अन्यथा अव्यवस्था के बीच में बहुत सी चीजें दब रही थीं। मेरे माननीय मित्र इस बात से आश्वस्त होंगे कि सदन के अन्दर अव्यवस्था नहीं चलनी चाहिए। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी आप कृपया संविधान के 178 के उपबन्धों को देखें। उसमें लिखा है---

"178---राज्य की प्रत्येक विधान सभा यथासम्भव शीघ्र अपने दो सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेगी तथा-जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तब-तब सभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।"

इस अनुच्छेद 178 में एक सीमा यह भी है कि जब रिक्तता हो गई हो। श्रीमन्, यह जो विधान सभा बैठी है, आठवीं विधान सभा है, इसमें नये सदस्य चुनकर आये हैं तो उसका सवाल ही नहीं उठता। इसमें अभी कोई अध्यक्ष नहीं चुना गया है। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि विधान सभा यथासम्भव शीघ्र अपना अध्यक्ष चुन लें .....

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र---

यथासम्भव शीघ्र में देयर इज नो प्वाइन्ट आफ टाइम। इसमें समय की सीमा नहीं दी गई है।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, आप उनसे व्यवस्था न देने को कहें।

श्री जटा शंकर सिंह---

आपको आपत्ति है तो आपको ही अध्यक्ष चुन लें।

श्री राम स्वरूप वर्मा---

मान्यवर, अध्यक्ष की रिक्तता में आप अनुच्छेद 179 को भी देख लें। जिसमें लिखा है---

"179---विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पदधारण करने वाला सदस्य---

(क) यदि सभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा।"

यानी पहली विधान सभा जब बैठेगी तो वह अपना अध्यक्ष चुनेगी। मैं समझता हूं इससे उधर के बैठने वालों को कुछ भ्रम हो गया है। आगे लिखा है---

179 (ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो उपाध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य अध्यक्ष है, तथा अध्यक्ष को सम्बोधित होगा, यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है, अपना पद त्याग सकेगा।

(ग) विधान सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। तो यह तीनों अवस्थाओं में से कोई अवस्था नहीं है। रिक्तता तब होती है जब किसी ने पद छोड़ा हो चूंकि इसे पहले से कोई धारण नहीं किये है और यह नई विधान सभा चुनी गई है इसकी घोषणा चुनाव आयोग ने की है। अभी यह पद

[श्री राम स्वरूप वर्मा]

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भरा नहीं गया है। इसलिये अनुच्छेद 180 में जो नियुक्ति की गई है वह सर्वथा अवैधानिक है। 180 को पढ़ देता हूं—

जब कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो तब उपाध्यक्ष, अथवा, यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो विधान सभा का ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपाल उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

तो मान्यवर, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता तब आपकी नियुक्ति संभव थी। यहाँ तो अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष चुने ही नहीं गये हैं।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं आता है। संविधान की धारा 178 में लिखा हुआ है यथा संभव।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

इस यथा संभव शब्द पर हमारा एतराज है। अभी 25 तारीख को यथासंभव को देखते हुए माननीय राज्यपाल ने अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए समय रखा और आज 3 तारीख के लिए अभिभाषण रखा था। अब इसमें नियम काम नहीं करेंगे बल्कि धारा 178 जो संविधान की है वह काम करेगी जिसमें यह सदन मालिक है अपने अध्यक्ष चुनने के लिए। मैं निवेदन करूंगा कि अब आप इस अनियमितता को खतम करने के लिये सर्वयोग्य व्यक्ति हैं। राज्यपाल ने न पसंद किया हो लेकिन हम विपक्ष की तरफ से आपका समर्थन करते हैं अध्यक्ष पद के लिए मैं समझता हूं कि उधर से भी आपको समर्थन प्राप्त है इसलिए सर्वसम्मति से हम प्रस्तावित करते हैं और उधर से भी समर्थन करेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा—

मेरा भी औचित्य के प्रश्न पर नाम था।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री मोहन सिंह—

मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। मेरी बात भी सुन लें.....

श्री कार्यकारी अध्यक्ष—

कोई आवश्यकता नहीं है (व्यवधान) मैं खड़ा हुआ हूं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप कृपा करके बैठ जायं। माननीय ओझा जी, आप भी बैठ जायं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जो औचित्य का प्रश्न उठाया गया है उसमें माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के साथ मेरा भी नाम था।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष—

मैंने दोनों तरफ की बातें सुन ली हैं।

श्री मोहन सिंह—

सभी दलों के प्रतिनिधियों को थोड़ा-थोड़ा करके सुन लें। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बाद आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष—

नियमों के अनुसार औचित्य के प्रश्न पर बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है तीनों सदस्यों ने नियमों का हवाला देते हुए सभी बातें कह दी हैं। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री काशीनाथ मिश्र तथा श्री रामस्वरूप वर्मा जी ने औचित्य के प्रश्न के संबंध में

जो तर्क प्रस्तुत किये हैं और जो औचित्य के प्रश्न उठाये हैं उन पर मैं अपना निर्णय दे रहा हूं यह आपत्ति उठायी गयी है कि अध्यक्ष के चुनाव के बिना सदन का विधिवत गठन नहीं हुआ है, अतः कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा संचालित कार्यवाही अवैधानिक होगी।

संविधान के अनुच्छेद 179 के द्वितीय परन्तुक के अनुसार विधान सभा के विघटन के पश्चात भी विधान सभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपना पद रिक्त नहीं करते। किन्तु उत्तर प्रदेश सप्तम् विधान सभा में 26 फरवरी, 1979 को अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था और 17 फरवरी, 1980 तक, जब सप्तम् विधान सभा विघटित हुई, उक्त पद भरा नहीं जा सका। विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप उपाध्यक्ष का पद भी 17 फरवरी, 1980 को रिक्त हो गया।

सामान्य निर्वाचन के पश्चात् विधान सभा के गठन के लिये 9 जून, 1980 को विधिवत् अधिसूचना जारी की गयी। इस नवगठित अष्टम विधान सभा का इस प्रकार कोई अध्यक्ष न था। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने के कारण मुझे श्री राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 180 (1) के अधीन उस समय तक के लिये विधान सभा के अध्यक्ष के पद के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त किया. जब तक सदन विधिवत नया अध्यक्ष निर्वाचित न कर ले। अध्यक्ष के निर्वाचन के लिये 7 जुलाई, 1980 की तिथि जिसकी इत्तिला भी माननीय सदस्यों को विधिवत भेज दी गई है निर्धारित की जा चुकी है और मैं उक्त आदेश के अनुसार उस समय तक अध्यक्ष के पद के कर्त्तव्यों का पालन करूंगा जब तक अध्यक्ष पद के लिये विधिवत् निर्वाचन न हो जाय।

10 अप्रैल, 1952 को लोक सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद रिक्त थे। राष्ट्रपति ने श्री ग0 व0 मावलंकर को लोक सभा की पहली बैठक तक के लिये कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया। श्री मावलंकर 15 मई, 1952 के प्रातः तक कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति प्रथम बार उत्तर प्रदेश विधान सभा में हुई है या हो रही है।

उपर्युक्त कारणों एवं दृष्टान्तों को देखते हुए सदन विधिवत् गठित है। उसमें कोई अवैधानिकता नहीं है। जो आपत्ति उठाई गई है उसे मैं अस्वीकार करता हूं और विधान सभा की कार्यवाही नियमानुसार जारी रहेगी।

एक सदस्य—

माननीय अध्यक्ष के चुनाव का प्रस्ताव और उनका नाम आ गया है, तो उस पर आप मत ले लेते तो अच्छा होता।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

यह निर्णय तो आप पहले से ही लिखकर लाए थे, तो यहाँ पर इसी तरह से बहस होगी, फिर सदन कैसे चलेगा।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

(1 बजकर 5 मिनट)

श्री कार्यकारी अध्यक्ष—

अब आज की कार्यसूची का दूसरा आईटम लेता हूं, उसके अनुसार मैं श्री राज्यपाल द्वारा दोनों सदनों के लिए दिये गये अभिभाषण का प्रारम्भिक एवं अन्तिम पैरा पढ़कर सुनाये देता हूं।

"माननीय सदस्यगण, उत्तर प्रदेश में हाल ही में सम्पन्न हुए आम चुनावों के बाद हो रहे विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के इस अधिवेशन के अवसर पर आपको

[श्री कार्यकारी अध्यक्ष]

सम्बोधित करते हुए जहाँ एक ओर मुझे प्रसन्नता हो रही है, वहाँ दूसरी ओर अभी कुछ ही दिन पूर्व एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में देश के उदीयमान और युवा नेता, संसद सदस्य, श्री संजय गाँधी की दुखद और असामयिक मृत्यु के कारण देश में, और विशेषकर इस प्रदेश में, अपार शोक व्याप्त हो गया। इस भयंकर बज्रपात से हम अपने को सम्भाल भी नहीं पाये थे कि भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा इस प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल एवं देश के अग्रणी नेता श्री वी0 वी0 गिरि का भी विगत 24 जून, 1980 को निधन हो गया। इन दिवंगत आत्माओं के प्रति मैं अपनी श्रद्धाँजलि अर्पित करता हूं। अब मैं अन्त का पढ़े देता हूं– इन शब्दों के साथ मैं आपको अपने महत्वपूर्ण कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिये आहूत करता हूं।"

(श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 37—42 पर)

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मैं व्यवस्था मानने को तैयार नहीं। इसलिए सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री राम स्वरूप वर्मा सदन त्याग कर चले गये)

दिनांक 4 व 5 जुलाई, 1980 को सदन स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर 4-5 जुलाई को सदन की कार्यवाही स्थगित रखी जाये क्योंकि उस दिन राज्य सभा और विधान परिषद् के चुनाव हैं। सभी माननीय सदस्य उसमें हिस्सा लेंगे इसलिए यह उचित होगा कि 4–5 को सदन की बैठक को स्थगित रखा जाये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मुझे स्वीकार है।

(किसी सदस्य द्वारा आपत्ति न किये जाने पर)

श्री कार्यकारी अध्यक्ष—

इस निर्णय के अनुसार 4-5 तारीख को सदन की बैठक नहीं होगी।

भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि के निधन पर शोकोद्गार

(1 बजकर 8 मिनट)

*मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, पिछले सदन की बैठक और मौजूदा सदन की बैठक के बीच में हम लोगों के बहुत अजीज हम लोगों के बीच नहीं रहे। उनमें सर्वोपरि श्री वी0 वी0 गिरि, भूतपूर्व राष्ट्रपति 24 जून, 1980 को प्रातः 6 बजे मद्रास स्थित उनके निवास स्थान पर उनका निधन हो गया। स्वर्गीय गिरि ने 1921 में महात्मा गाँधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया और सन् 1927 में आल इन्डिया रेलवे मेन फेडरेशन के अध्यक्ष बने। वे आल इन्डिया ट्रेड यूनियन काँग्रेस के भी इसी वर्ष अध्यक्ष बने। 1927 में जनेवा में होने वाले श्रम सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। सन् 38 में लन्दन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सन् 37 में मद्रास विधान सभा के सदस्य चुने गये। सन् 1937 से 1939 तक मद्रास में उद्योग मंत्री की हैसियत से काम किया। मान्यवर, वह हमारे प्रदेश के राज्यपाल रहे और हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। यह पद गौरवमय हैं ही और कोई भी व्यक्ति अगर इन पदों पर पहुंचता है तो वह अपने को गौरवान्वित समझेगा, लेकिन वह श्रम से लगे हुए लोगों के साथ और जन-जन के हृदय में रहे। वह इन पदों से भी उच्च रहे। आज वह हमारे बीच नहीं रहे। मैं समझता हूं कि मेहनतकश लोगों के बीच

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का एक नेता चला गया और उनके शोकाकुल परिवार के साथ हमारी संवेदनाये हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति मिले।

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय नेता सदन ने अभी अपनी भावनाएँ व्यक्त की हैं मैं अपने दल की तरफ से और अपनी ओर से उससे सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, श्री वी0 वी0 गिरि एक श्रमिक नेता थे। संसार में वह मजदूर नेता के रूप में विख्यात थे। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के साथ उन्होंने इस देश को आजादी दिलायी। मद्रास में विधान सभा के सदस्य रहे और मंत्री भी रहे। वह इस प्रदेश के राज्यपाल और हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे। उनके निधन से निश्चय ही इस देश ने एक गौरवान्वित नेता और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी को खोया है, जिसकी पूर्ति होना असम्भव है। मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार को भेजने की कृपा करें।

*श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, नेता सदन तथा नेता विरोधी दल ने श्री वी0 वी0 गिरि के प्रति जो अपनी-अपनी भावनायें इस सदन में व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री गिरि का महत्व केवल इसलिए नहीं कि वे इस प्रदेश के राज्यपाल के पद पर और इस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं बल्कि उनका महत्व इसलिए रहा कि इस देश के अन्दर और बाहर तक कही अन्याय, चाहे वह श्रमिकों के या शोषितों अथवा पीड़ितों के विरुद्ध रहा, उन्होंने उसके लिए संघर्ष किया। उनका जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा है और संघर्ष में ही उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगायी। ऐसे व्यक्ति के प्रति मैं अपने और अपने दल की श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी और मेरे दल की इन भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अभी स्वर्गीय श्री गिरि के प्रति माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और नेता काँग्रेस (अर्स) दल ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि माननीय गिरि का महत्व हमारे देश और विश्व में एक महान व्यक्तियों में उनकी सेवाओं के कारण रहा है। वे बचपन से समाज सेवी लगन वाले थे और जब से वे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के सम्पर्क में आये तब सबसे पहले उनके मन में समाज सेवा की लगन लगी थी। ऐसा कोई महत्वपूर्ण पद नहीं रहा जिस पर उन्होंने काम न किया हो। वे सदैव ही अपने विचारों के कट्टर और अडिग रहें। एक बार यहीं पर कुलाधिपति के अधिकार के सम्बन्ध में संवैधानिक विषय पर मंत्रि परिषद् से कुछ मतभेद हुआ लेकिन वे अपने विचारों पर अडिग रहें। उन्होंने अपने विचारों से राष्ट्र और समाज की सेवा की। उन्होंने राजनीतिक दल भी बनाया। वे देश के विकास का चिन्तन करते रहे। आपने अपने देहावसान के कुछ दिन पूर्व देश की प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया था। इस प्रकार एक महान व्यक्तित्व हमारे बीच से चला गया जिसकी क्षति पूर्ति करना असम्भव है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी और अपने दल की ओर से आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी संवेदनायें उनके संतप्त परिवार तक पहुंचा दें।

श्री भीखालाल—

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, माननीय मुख्य मंत्री और नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने स्वर्गीय श्री गिरि के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये है, मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भीखा लाल]

स्वर्गीय श्री गिरि, जैसा कि अन्य साथियों ने कहा, इसलिए विख्यात नहीं थे कि वे इस देश के राष्ट्रपति या इस प्रदेश के राज्यपाल थे बल्कि वे देश की समस्याओं के प्रति हमेशा चिन्तन करते रहते थे और मरते समय तक जो भी समस्यायें आयीं, उन पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये। वे श्रमिकों और गरीबों के रहनुमा थे और उनका पूरा जीवन गरीबों और श्रमिकों के संघर्ष में लगा रहा और इसलिये वे खाली अपने देश में ही नहीं अपितु विश्व में एक विख्यात श्रमिक नेता के रूप में रहे हैं। इस नेता के प्रति, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, हम सभी को दुख है और मैं अपनी तथा अपने दल की ओर से दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी संवेदनायें उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, स्वर्गीय श्री वी० वी० गिरि के निधन से राष्ट्र की अपार क्षति हुई है। स्वतंत्रता की लड़ाई में तथा आजादी के बाद करोड़ों मजदूरों को संगठित करने में जो उन्होंने रहनुमाई की है उसे भुलाया नहीं जा सकता। मजदूर आन्दोलन को संगठित करके, आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के वे अध्यक्ष रहे। वे आल इंडिया रेलवे मेन फेडरेशन के भी अध्यक्ष रहे। इन दोनों संगठनों को आगे बढ़ाने का जो काम उन्होंने किया वह सदा याद रहेगा। वे यहाँ के राज्यपाल भी रहे हैं, राष्ट्रपति भी रहे हैं, उनके निधन से हमारे राष्ट्रीय जीवन में जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति कदापि नहीं हो पायेगी। उनकी आत्मा की शांति के लिये हम अपनी ओर से और अपने दल की ओर से संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारी सहानुभूति और संवेदना आप उनके संतप्त परिवार को भेजने की कृपा करें।

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, स्वर्गीय श्री वी० वी० गिरि के संबंध में माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे भारत के। इस सारी अवधि में, अपने पूरे जीवन में उन्होंने जो कार्य किया वह बड़ा ही सराहनीय रहा है और उसे किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति द्वारा भुलाया नहीं जा सकता। इसलिये मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, अपने दल की ओर से भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारे विचार और संवेदना उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचा देंगे।

*श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, स्वर्गीय श्री वी० वी० गिरि के निधन के बारे में जो उद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं अपने को और अपने प्रतिगशील विधायक दल को उससे सम्बद्ध करते हुये आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारी संवेदनाएं भी आप उनके शोक संतप्त परिवार तक भेजने की कृपा करें। स्वर्गीय श्री वी० वी० गिरि का जीवन एक संघर्ष का जीवन रहा है। देश की आजादी की लड़ाई में जो भूमिका उन्होंने अदा की उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। आजादी के बाद भी जन आकांक्षाओं के साथ जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को जोड़ा, इस प्रदेश के राज्यपाल रहकर तथा भारत के राष्ट्रपति रहकर जो कार्य किया उसके कारण, जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा, उन्होंने लोगों में, जन-जन के हृदयों में, दिलों में, जगह बना ली थी जिसके कारण उन्हें सदा याद रखा जायेगा। आप हमारी संवेदना उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ए0 सी0 ग्राइस--

मान्यवर, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा दूसरे माननीय नेताओं ने जो राय जाहिर की है, जो कुछ यहाँ श्री श्री वी0 वी0 गिरि के निधन के बारे में कहा है, उसके साथ मैं भी अपने को, अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को जोड़ता हूं। जब वे इस प्रदेश के गवर्नर थे, हम उनसे मिलते थे और अपनी कम्युनिटी की बहुत सी समस्यायें उनके सामने रखते थे। वे उन्हें हल करते थे, उनको ठीक करने की कोशिश करते थे। हमें उनके मर जाने का बहुत ज्यादा दुख है। इतने बड़े महान नेता के मर जाने पर उसकी जगह दूसरा नहीं आ पायेगा। आप हमारी तरफ से और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से संवेदना भेजने का कष्ट करें।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष---

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं ने स्वर्गीय श्री वी0 वी0 गिरि के बारे में जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं भी अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। आज अगर हम उस इतिहास को देखें, उस वातावरण को देखें, और उस पीढ़ी को देखें तो हम थोड़ा सा स्तब्ध रह जाते हैं। श्री गिरि 1921 के आन्दोलन में, खासकर कांग्रेस के आन्दोलन में आये। इसके बाद जो भी मूवमेंट हिन्दुस्तान में हुए उसमें भी अच्छी तरह से हिस्सा लिया और छोटे ही जीवन से उन्होंने इस तरह स कार्य किये जिनको भुलाया नहीं जा सकता। प्रश्न यह है कि जो हमारी पीढ़ी है, जिन के पीछे का एक इतिहास रहा है, जिनके पीछे परम्पराएं रही हैं अगर वह धीरे-धीरे समाप्त होते जाते हैं तो किस तरह से हमारे देश का भविष्य होगा। इन चन्द शब्दों के साथ माननीय सदस्यों ने और इसके अलावा और भी दूसरी पार्टी के लोगों ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं और जो भी संवेदना सदन में व्यक्त की गई हैं वह उनके परिवार तक भेजवा दी जाएंगी। इसके बाद दो मिनट के लिए हम लोग मौन खड़े हो जायं ताकि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें।

(सभी सदस्य दो मिनट अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त के निधन पर शोकोद्गार

***मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)**---

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी, हम लोगों के बीच में, हमारे प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री सी0 बी0 गुप्त जी नहीं रहे। किसी भी व्यक्ति के निधन के बाद क्या हमारा इसमें बिकल्प रह जाता है वही उस व्यक्ति की आँक और परख होती है। आज हम गुप्त जी के जीवन पर अगर दृष्टिपात करें तो उनकी जो अमिट छाप प्रदेश पर पड़ी है उसको पहचानने से नहीं चूक सकते हैं। यदि कहा जाय कि उन्होंने हमारे प्रदेश में राजनीति को एक परिभाषा दी। जब मैं पहली बार इस सदन में आया था 1969 में, वह मुख्य मंत्री थे। इस सदन के सदस्य के नाते उनके साथ काम करने का मौका मिला था और उस कार्यकाल में मुझे यह अहसास हुआ कि उनका हाथ फौलाद का है लेकिन उनके दिल में दरवाजे नहीं लगे हैं। दिल हमेशा खुला रहता था। वह गरीब की तरह रहे, जहाँ तक उनके निजी साधनों की बात रही, बड़े से बड़े मायापति आएं चाहें जाएं लेकिन चन्द्रभानु गुप्त कभी निजी रूप में उससे लिप्त नहीं हुए। मुझे विश्वास है कि जब भी कोई नौजवान इस प्रान्त की राजनीति में आने का प्रयास करेगा या सोचेगा तो अपनी मान्यताओं में, अपने भविष्य में, उसके मार्गदर्शन में श्री चन्द्रभानु गुप्त को हमेशा दिमाग में रखेगा। यही उनको सही श्रद्धांजलि होगी। उनके जाने के बाद भी उनके आगे के जीवन में वही परख होगी। इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं अपनी संवेदना आपके माध्यम से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

केवल वही परिवार नहीं, उनका परिवार पूरा ही देश था, व्यक्त करना चाहता हूं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र सिंह---

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने स्वर्गीय गुप्ता जी के सम्बन्ध में जो भावभीनी श्रद्धांजलि दी है और अपने उद्गार व्यक्त किये हैं, मैं और मेरा दल उनकी भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करते हैं। श्रीमन्, गुप्ता जी का जन्म अलीगढ़ जनपद के एक गाँव में हुआ था। लेकिन इसके बाद गुप्ता जी का राजनैतिक कार्य क्षेत्र लखनऊ बन गया। इसके बावजूद भी श्रीमन्, क्योंकि मैं उसी जनपद से आता हूं, मुझे आभास है कि गुप्ता जी ने अपना सम्बन्ध सदैव अलीगढ़ से बनाये रखा। श्रीमन्, गुप्ता जी इस प्रदेश की राजनीति में विभिन्न पदों पर रहे। जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा वास्तव में उनके हाथ फौलादी थे, वह दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति थे और उन्होंने इस प्रदेश की राजनीति पर एक गहरी छाप छोड़ी है। वह इस प्रदेश के कई बार मुख्य मंत्री भी रहे। स्वतंत्रता के लिए अनेकों बार जेल गये। आजीवन अविवाहित रहे। लेकिन जैसा कहा गया है वे कभी किसी चीज से लिप्त नहीं हुए। श्रीमन्, उन्होंने राजनैतिक क्षेत्र में ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काफी कार्य किया। कई संस्थायें, शैक्षिक संस्थायें, उन्होंने खोलीं और चलायीं। मोती महल यहाँ पर जीता-जागता एक उदाहरण है। श्रीमन्, ऐसे व्यक्ति के प्रति, ऐसे नेता के प्रति मैं और मेरा दल अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी संवेदना, उनके परिवार तो नहीं था, प्रान्त और राष्ट्र के लिए पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री राज मंगल पाँडेय---

मान्यवर, इस देश को आजादी दिलाने वालों में गुप्ता जी का भी नाम बहुत ऊंचा रहा है। आजादी के बाद भी देश के बनाने का जब सवाल आया, इसमें कोई शक नहीं कि जिस नेकनीयती और ईमानदारी से उन्होंने इस देश को, विशेषकर उत्तर प्रदेश को बनाने की बात सोची और सोच कर जो कुछ भी उन्होंने किया, वह भी अपने आप में अनुकरणीय रहा है। मान्यवर, जीवन भर संघर्ष करते-करते बहुत दफा उनके ऊपर लाँछन भी लगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था के वह कायल जरूर थे लेकिन गरीबों के लिए, असहाय और तबाह लोगों को ऊपर उठाने के लिए जीवन भर वह अथक प्रयास करते रहे। जहाँ तक मुझे स्मरण है कि उनके दरवाजे से कोई भी लड़का जिसमें प्रतिभा रही है, वह निराश नहीं आया है। शुरू में जरूर उन्होंने चाहे जैसा रुख अपनाया हो, लेकिन जैसा कि अभी नेता सदन ने बताया, वह किसी से कभी कड़वी बात नहीं करते थे। उनका दिल मोम से भी ज्यादा मुलायम था। गरीबों के वास्ते आँसू बहाना और मुसीबत में खड़ा होना उनकी आदत थी। गुप्ता जी आज हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन उनकी छाप हमारे इस देश और प्रदेश में चमकती रहेगी। 1967 में उत्तर प्रदेश की विधान सभा का वह दिन कोई भी व्यक्ति आसानी से भूल नहीं सकेगा। उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत की जिसे कोई भूल नहीं सकेगा। उस वक्त जो उन्होंने नैतिकता का उदाहरण पेश किया बिरला ही कोई आदमी वैसा उदाहरण पेश कर सकता है। पद के वास्ते उन्होंने कभी नैतिकता को छोड़ा नहीं। कभी उन्होंने अपने आदर्शों को छोड़ा नहीं। पद से अलग रह कर इस देश और समाज की सेवा करने का जो उन्होंने व्रत लिया था उसको उन्होंने पूरा किया। मान्यवर, आज वह हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन उनका नाम प्रदेश के जितने भी मुख्य मंत्री हुए हैं, उनके हटने के बाद बहुत मुख्य मंत्री हुए हैं लेकिन उन मुख्य मंत्रियों में श्री सी० बी० गुप्ता जी का नाम अजर-अमर रहेगा। इसलिये कि उनके काम करने के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरीके और इस प्रदेश के जो भी व्यक्ति उनके साथ सम्बद्ध रहे हैं उनको उन्होंने सदैव ऊपर उठाने का प्रयास किया है। इस देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में जितना कान्ट्रीब्युशन उनका रहा है उतना बहुत कम लोगों का रहा है। जब भी इस सदन में पूंजीपतियों की बात आयी उन्होंने उसी सीमा तक उसको माना जहाँ तक देश और प्रदेश को बनने और बनाने की बात आयी। गुप्ता जी की सेवाओं को अगर राजनीतिक जीवन में बहुत नजदीक से देखा जाय तो बहुत कम लोगों का नाम मिलेगा। गुप्ता जी का नाम सदैव अजर अमर रहेगा उनकी सेवाओं के माध्यम से, उन्होंने समाज की जो सेवा की है। उनके निधन से इस देश और प्रदेश का गाँव-गाँव प्रभावित है। सत्य है कि एक ऐसा आदमी हम लोगों के बीच से चला गया जो गरीबों के वास्ते और नौजवानों के वास्ते प्रकाश पुंज था। आज जो अस्थिरता का वातावरण बन चुका था उसमें स्थिरता लाने के लिये उनके मार्गदर्शन की आज बहुत जरूरत थी। हम चाहते हैं कि हमारी ओर से और हमारे दल की ओर से हम लोगों की भावनाएं उनके परिवार तक पहुंचा दी जायं। उनका कोई परिवार तो था नहीं उनका परिवार तो पूरा समाज और देश था लेकिन जो भी उनके परिवर में हों उन तक पहुंचा दें, इसके लिये हम आपके आभारी होंगे।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त——

मान्यवर, नेता सदन, नेता विरोधी दल और नेता कांग्रेस अर्स ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। उत्तर प्रदेश के विकास में जो योगदान गुप्ता जी का रहा है उसका स्मरण आगे आने वाली पीढ़ियां बहुत सम्मान और श्रद्धा के साथ करेंगी। मान्यवर, जितने नजदीक से देखा गया उनका जीवन त्यागपूर्ण पाया गया। उनका केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही योगदान नहीं था बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में, गरीबों की सेवा के क्षेत्र में और सब क्षेत्रों में भी उन्होंने बहुत योगदान दिया है। वह देश की राजनीति में नहीं रहे जबकि आज देश को उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन की आवश्यकता थी ऐसे समय में वे हमारे बीच से चले गये। देश को उनकी विचारधारा और मार्गदर्शन की बहुत जरूरत थी, उनकी सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकेगा। जब हम लखनऊ विश्वविद्यालय में विद्यार्थी थे तब से गुप्ता जी का विद्यार्थियों और शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर गरीब छात्रों के प्रति जो उनका योगदान रहा है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। यह बात सभी जानते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में गुप्ता जी ने विशेष प्रयास किया। इन शब्दों के साथ मैं अपने और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका कोई परिवार नहीं है, उनका तो पूरा समाज, प्रदेश और देश परिवार था, उनका जीवन राष्ट्र समर्पित जीवन था इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारी भावनाओं को जन-जन में प्रसारित कर दें।

श्री भीखा लाल——

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त के संबंध में जो विचार माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल ने व्यक्त किया है मैं अपने को तथा अपने दल को माननीय नेता सदन व अन्य दल के नेताओं के साथ सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैंने उनके साथ 1957 से इस सदन में कार्य किया तथा नजदीक से उनको देखने और परखने का मुझे मौका मिला। वे इस प्रदेश के लौहपुरुष कहलाते थे तथा इस प्रदेश का निर्माण करने में और उसे शक्तिशाली बनाने में जिन नेताओं ने अपने योगदान दिये हैं उनमें इनको भुलाया नहीं जा सकता उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे राजनैतिक व्यक्तियों को मानते थे और उनकी कद्र करते थे। जब कभी भी हम लोग उनसे मिलना चाहते थे तो हम लोगों को कभी दिल से यह अहसास नहीं होता था कि हम किसी सत्तारूढ़ दल के मंत्री,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भीखा लाल]

नेता या विरोधी दल के नेता या किसी सदस्य से मिल रहे हैं या किसी मुख्य मंत्री से बात-चीत कर रहे हैं। कोई अंतर इस दौरान नहीं दिखाई देता था, उनका नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में अमर रहेगा। और जब कभी काकोरी की घटना याद की जायेगी तब स्व0 श्री चन्द्र भानु गुप्त जी का नाम याद आयेगा। उन्होंने इस प्रदेश को बनाने में बहुत बड़े-बड़े योगदान दिए हैं चाहे वे राजनीतिक क्षेत्र में हों और चाहे सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में हों उन्होंने ऐसे कार्य किये हैं कि हमेशा-हमेशा उनका नाम इस प्रदेश में अमर रहेगा। मैं इन शब्दों के साथ अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनकी दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, इस अनुरोध के साथ कि जो भी इनके परिवार से संबंधित हों, उन तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, आदरणीय नेता सदन, आदरणीय नेता विरोधी दल तथा दूसरे दलों के नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये स्व0 चन्द्र भानु गुप्त के संबंध में, मैं अपने को तथा अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, स्व0 श्री चन्द्रभानु गुप्त व्यक्ति नहीं एक संस्था थे और उत्तर प्रदेश के निर्माण की कल्पना उनको हटाकर नहीं की जा सकती है। उनके दिल और दिमाग में इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की जो कल्पना थी उसे साकार होने से पूर्व ही विधि ने उनको हमसे छीन लिया। वे हर एक के विचारों के प्रति निष्ठा रखते थे। राजनीतिक जीवन में कम लोग ऐसे देखने को मिलती हैं। आचार्य नरेन्द्र देव जी जब कांग्रेस में थे तब उनके विचारों से बहुत सहमत रहते थे लेकिन जब आचार्य जी ने सोशलिस्ट पार्टी बना ली तब उन्होंने आचार्य जी के विचारों का खुलकर विरोध किया, परन्तु वैसे उन्हें उनके प्रति अपार स्नेह था और अपने दिल से उन्हें अलग नहीं होने दिया। इस प्रदेश में अब कोई ऐसा राजनीतिक कार्यकर्त्ता नहीं रहा जो उनकी कमी को पूरा कर सके। मैं पुनः अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि उनके संबंधित लोगों तक पहुंचाने का अनुरोध करता हूं।

*श्री प्रदीप कुमार यादव ---

मान्यवर, मैं नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं के विचारों से जो स्व0 गुप्ता जी के बारे में प्रकट किये हैं, अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। उन्होंने अपने जीवन काल में प्रदेश की प्रगति के लिए जो योगदान दिए और योजनाएं बनायीं वे आज भी हमारी नजर के सामने आये दिन आती रहती हैं। आये दिन लोग पैदा होते है, आये दिन मरते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी जीते हैं। आज गुप्ता जी हमारे बीच में नहीं हैं फिर भी उनकी याद उनके कार्यों से ताजी है। इन शब्दों के साथ माननीय गुप्ता जी को अपनी ओर से, अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारी संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, स्वर्गीय गुप्ता जी के बारे में जो उदगार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल आदि ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। माननीय गुप्ता जी का जीवन उत्तर प्रदेश के कण-कण से पूरा होता है। उत्तर प्रदेश के बारे में सोचते ही अनायास उनका चेहरा सामने आ जाता है। उत्तर प्रदेश के अलावा जब उनके राजनीतिक जीवन पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि जब-जब जनता के सामने राजनीतिक संकट आया है उनको एक दिशा देने में माननीय गुप्ता जी ने काम किया है। मान्यवर, सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में भी अनेक संस्थाओं के वे प्रणेता रहे हैं। राजनीति में नयी पीढ़ी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिए वे प्रेरणा के स्रोत के रूप में जाने जायेंगे। मान्यवर, हम सब दुखी हैं, प्रदेश दुखी है, हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारी ओर से संवेदना के पुष्प उनके शोक संतप्त परिवार के जनों तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री ए0 सी0 ग्राइस—

मैं समझता हूं कि इस हाउस में सबसे ज्यादा समय मेरा ही है। 52 से मैं आया हूं। जिस प्रकार से मैं उनको जानता हूं, हमारा मुख्य मंत्री और नामिनेटेड मेम्बर का नाता नहीं था, हमारा गुप्ता जी काफी फ्रेन्डशिप था। इतना फ्रेण्डशिप था कि जब गुप्ता जी के यहाँ गया और वह नाश्ता करा रहे होते तो आधा अण्डा मुझे देते आधा खुद खाते। आधा सेब मुझे देते आधा खुद खाते। उनका हमारी इतनी फ्रेन्डशिप था, इतना लव था हम कभी भूल नहीं सकते। जब चौधरी चरण सिंह ने 17 या 16 जितने भी लोग थे, गवर्नमेंट बनायी, गुप्ता जी उस तरफ मे उठे और उठकर सीधे गवर्नर के पास जाकर इस्तीफा दे दिया। तोड़-मरोड़ नहीं किया। मुझे याद है ला-मिनिस्टर थे यादव जी इलाहाबाद के वकीलों का कुछ मामला था गुप्ता जी पीछे बैठे थे, उनको अपोजीशन का फर्क नहीं था, यादव जी को याद है उन्होंने बताया कि जब तक मुख्य मंत्री नहीं, यह सवाल न उठाया जाय। चाहे वह अपोजीशन में थे वह हर तरफ से जस्टिसली देखते थे। पूरे देश की नर्सों के सम्मेलन के लिए कमरा माँगने के लिए मुझे एक दिन उनके यहाँ जाना पड़ा। तो वह क्रोध से बोले अपना सब क्षेत्र बन्द कर दूं। जब वह गुस्सा हो गये तो मैंने समझा कि अब मेरा काम बन गया और वह बोले जितना कमरा चाहो ले लो। जब भी गुप्त जी से कुछ माँगा तो उन्होंने मना नहीं किया। अंग्रेजी में एक कहावत है—"इन दि सेन्स आफ टाइम गुप्ताज इम्प्रेशन बिल नेवर बी वेव्ड।"

श्री कार्यकारी अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं तथा कुछ सदस्यों ने जो उदगार व्यक्त किये हैं मैं भी अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। जहाँ तक गुप्ता जी का सम्बन्ध है मुझे अच्छी तरह से यह याद है कि 1952 में हम लोग पहली बार नवजवान चुनकर इस विधान सभा में आये थे। गुप्ता जी कई बार इस विधान सभा के सदस्य हुए। 1957 में वह इस प्रदेश के मंत्री रहे। चार बार इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे। बहुत से विभाग उनके पास थे। जो भी विभाग उनको सौपा गया वह बहुत मुस्तैदी के साथ, ईमानदारी के साथ कपड़े उतार कर बनियाइन पहन कर 15–16 घण्टे, 18–18 घण्टे काम करके उन्होंने विभाग को आगे बढ़ाया। वह गरीबों के मसीहा थे। जितने भी अस्पताल हैं, स्कूल हैं, मिशनरीज हैं, लोग दिक्कत में हों अपने वेतन से नहीं, वेतन तो उनका अपना था नहीं, दूसरे व्यक्तियों से उनकी सहायता कराते थे। उनका जीवन आग की तरह तप्त था। माननीय सदस्यों ने जो भी विचार प्रकट किये हैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूँ और जो संवेदना प्रगट की गयी है उन्हें उनके परिवार तक पहुंचा देंगे।

अब दो मिनट मौन खड़े रहकर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

संसद सदस्य श्री संजय गांधी के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी, मैं किन शब्दों में कहूं कि श्री संजय गाँधी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। जो कोटि-कोटि के हृदय पटल पर अंकित है, सजी है, उसको कैसे कह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

दूंकि वह काल के हवाले हो गये। काल भी संजय जी को इसलिए न ले सका कि संजय जी ने मौत को अपने सीने से लगाकर जिन्दगी जी। एक हाथ में मौत और एक हाथ में जिन्दगी इसी का नाम था संजय गाँधी। मान्यवर, उनके शरीर छोड़ देने के बाद आज शौर्य शरीर खोज रहा है। संजय वह ताकत थे कि जिधर पाँव रख दिया वहीं राह बन गयी। जिस पत्थर से टकराये वही विजय त्वरण बन गया। जब साँस ली तो आँधी बन गयी। उनके जीवन काल में बहुत सी उंगलियाँ भी उठीं लेकिन जो भी उगलियाँ उठतीं वहीं उनके सशक्त प्रभावशाली सिद्धि का प्रमाण रहीं। जब संजय गाँधी ने उंगली उठायी तो वह दिशा बन गयी, वह राष्ट्र की दिशा बोध बन चुकी थी। यह वह नौजवान था जिसने अपनी मुट्ठी में सदियों को समेटने का साहस रखा। आज हमारे भविष्य की वह नौजवान सदियाँ बिखर गयीं है। हम उनको कण-कण में अपने क्षण-क्षण में इस समय खोजते भटकते फिर रहे हैं। संजय जी नौजवानी में हम लोगों के बीच में से गये। जिसको हम नौविहान समझते थे वह अचानक संध्या में परिवर्तित हो गया। शायद हम लोगों के बीच में, इस उम्र में वह इसलिये गये कि वह नौजवान थे, नौजवानों के लिये उनकी जिन्दगी थी, इसीलिये उन्होंने नौजवानी में शरीर भी छोड़ा कि कहीं भी हमारी याद में जब संजय याद आये तो नौजवान संजय याद आये और कोई नहीं। नौजवान संजय का चित्र सदैव अमर रहेगा। एक बड़ा भारी योगदान उनका रहा है राजतनीतिक जीवन में, नौजवानों के अग्रदूत होने के नाते उन्होंनेयुवा शक्ति का राजनीति में आह्वान किया। हर बढ़ते हुए वर्षों के साथ नयी आशायें आती है, नयी परिस्थितियाँ पैदा होती हैं और नयी आशायें और नयी परिस्थितियों के सबसे नजदीक अगर कोई होता है तो नौजवान होता हैं और इसको उन्होंने पहचाना और स्थान दिया। मान्यवर, उनकी मृत्यु एक क्षण की थी लेकिन उनका अमृत शाश्वत रहेगा। इन शब्दों के साथ मान्यवर मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपनी भावनायें आपके माध्यम से उनकी माता श्रीमती इन्दरा गाँधी व उनकी शोकाकुल पत्नी मेनका गाँधी, उनके भ्राता राजीव गाँधी और सभी शोकाकुल परिवार के पास भेजने का अनुरोध करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मानीय कार्यकारी अध्यक्ष जी, संसद सदस्य स्वर्गीय संजय गाँधी की अल्प आयु में आकस्मिक दुखद मृत्यु पर मैं और मेरा दल श्रद्धांजलि अर्पित करता है। श्रीमन्, श्रीमती इंदिरा गाँधी के पुत्र शोक व श्रीमती मेनका गाँधी के पति शोक में मैं और मेरा दल अपनी संवेदना व्यक्त करता है। मैं श्रीमन्, आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे दल की व मेरी भावनाओं को उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, इस देश में बहुत से लोगों को यह भ्रम था कि राजनीतिक क्षितिज में संजय गाँधी का उदय केवल इसलिये है कि वह प्रधान मंत्री के बेटे हैं। संजय गाँधी ने अपने साहस, अपने चरित्र, दृढ़ विश्वास और जिस मंजिल को तय करने का इरादा कर लिया उस पर चलने की सामर्थ्य के कारण स्वयं अपना रास्ता ढूंढा। अपना एक भविष्य बनाया। उसमें किसी का कोई सहयोग नहीं था। उन्होंने साबित कर दिया कि बिना किसी के सहयोग के अपना एक भविष्य बनाया जा सकता है। अंग्रेजी में एक मुहाविरा है "डिफाइन्स इन डिफीट" जिसको संजय गाँधी ने साबित कर दिया "डिफाइन्स इन डेथ" जिससे बढ़कर किसी मानव के लिये और गौरव की बात नहीं हो सकती है। मरने के समय और उसके पहले उस इन्सान ने जो तय कर लिया कि यह करना है तो उसको मौत भी नहीं रोक सकी। यह जाहिर करता है कि उस व्यक्ति का चरित्र कितना महान था। हम उनकी नीतियों और विचारों से,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो दुनिया बनाने की बात करते थे, सहमत हों या न हों लेकिन इससे कोई विरोध नहीं करेगा कि उस व्यक्ति का कोई चरित्र था। उसमें कुछ साहस था और उसने ऐसा साहस उस समय दिखाया जिसमें बड़े-बड़े बहादुर टूट गये होते, उनका साहस टूट गया होता लेकिन इस माने में संजय गाँधी अद्वितीय रहे हैं। हममें से बहुत से लोग उनकी नीतियों से भले ही सहमत न हों लेकिन समय का तकाजा है कि जो व्यक्ति जितने आदर का पात्र हो उसको वह मिलना चाहिये। हम लोग अपने नवयुवकों को नियंत्रित नहीं कर पाते लेकिन जो सारे नवजवानों का स्रोत था—संजय गाँधी, जितने नवजवानों को एक प्रेरणा और शक्ति दिया और स्वयं अपना भविष्य बनाने का रास्ता दिखाया, यदि जिन्दा रहता तो शायद इस देश के लिये, समाज के लिये, नवजवानों को ऊपर उठाने के लिये उनको एक सूत्र में बाँधकर देश की प्रगति के लिये जो होता उससे देश वंचित हो गया जिससे हम सब को महान दुख है। यह सही बात है कि इतनी कम उम्र में उनके निधन से श्रीमती इंदिरा गाँधी को जो सदमा पहुचा है उससे कोई भी व्यक्ति जो उनका दुश्मन भी होगा उसके भी दिल में सहानुभूति जागेगी। इन शब्दों क साथ मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि श्रीमती इंन्दिरा गाँधी, मेनका गाँधी, श्री राजीव गाँधी और उनसे जो संबंधित लोग हैं उन तक मेरी और मेरे दल की तरफ से श्रद्धाजलि पहुंचा दें और इस विश्वास के साथ कि मान्यवर, यह भावनायें कोई औपचारिकतावश नहीं बल्कि मेरा दिल कह रहा है कि देश में कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो साहस दिखाकर नवजवानों के भविष्य के लिये कुछ रास्ता बना सकें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अपना वैचारिक मतभेद होते हुए भी इसमें कोई विवाद नहीं कि आज हमारे देश के राजनीतिक आकाश से संजय गाँधी का अस्त होना एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी जिस साहस और हिम्मत के साथ डटे रहकर कार्य किया उसकी तो तारीफ अदा ही की जायेगी। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि जिस पार्टी के वह कार्यकर्ता थे उसमें एक बड़े संकट का एक समय आया था लेकिन उस समय भी वह डटे रहे और नवजवानों को संगठित किया और फिर से अपने दल को संगठित करके एक साहसपूर्ण कार्य किया था। आज वह हमारे बीच नहीं है लेकिन जिन परिस्थितियों में उनका अन्त हुआ है उससे उनके परिवार को जो दुख होगा उसकी कल्पना करके मेरे मन में एक सिहरन सी हो जाती है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि उनके प्रति अर्पित करता हूं और अपनी भावना, अपने दल की भावना उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की प्रार्थना करता हूं।

श्री भीखा लाल—

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि संजय जैसे नवयुवक इतनी जल्दी हमारे बीच से चले जायेंगे। जिस समय विमान दुर्घटना और उनके निधन का समाचार मिला जल्दी-जल्दी यकीन नहीं होता था कि यह सही है।

संजय गाँधी देश की राजनीति में एक उभरते हुए व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व विवादग्रस्त जरूर था लेकिन यह सही है कि उन्होंने अपने विचारों, अपने चरित्र और अपनी कार्य शैली से देश के हजारों नवयुवकों को आकर्षित किया और अपने इर्द गिर्द जमा करके एक आलम बुन लिया। इस आकस्मिक निधन से देश के नवयुवकों को विशेष तौर से बहुत क्षति और दुःख हुआ है। यह सही है कि नवयुवक बेटे को खोकर एक अपार दुःख प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी और श्री संजय गाँधी जी की बेवा मेनका गाँधी के सामने अतुलनीय दुःख है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भीखा लाल]

मैं और मेरा दल संजय गाँधी के निधन पर शोक व्यक्त करता है और उनके सन्तप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता है और आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी यह सवेदना की भावना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष जी, स्वर्गीय संजय गाँधी की मृत्यु अपने आप में एक घटना है जिसे देश हमेशा के लिए याद करेगा। इस अल्प आयु में विधि की नियति ने उन्हें इस देश से छीन लिया। जो क्षति उनके परिवार को हुई है उससे ज्यादा राष्ट्र की हुई है।

मान्यवर, स्वर्गीय संजय गाँधी से मेरी पहली मुलाकात उस समय हुई जब वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गये थे। मैंने देखा कि उस व्यक्ति में अपने दल के प्रति प्रतिबद्धता थी और अपने उम्मीदवार को जिताने की क्षमता। अंतिम मुलाकात हुई उस जहाज को देखते हुए। 23 तारीख के सवा आठ बजे रियासत साहब और हम सब लोग चन्द्र शेखर जी के लान में बैठे हुए थे। जहाज जिस तेजी से नीचे आया रियासत साहब ने कहा कि यह जहाज कहाँ जा रहा है। दस मिनट के बाद टेलीफोन आया कि जहाज ध्वस्त हो गया। चन्द्र शेखर जी को विश्वास नहीं था। हम लोग हतप्रभ रह गये। यही ईश्वर को मंजूर था। मान्यवर, विचारों में मतभेद था, मतभेद होना भी चाहिये। बिना मतभेद के जीवन चल नहीं सकता है। लेकिन इस प्रकार की जो घटना घटित हुई है और उससे जो क्षति हुई है वह इस देश की हुई है। वह विशेषकर नवयुवकों की आशा के स्रोत थे। किसी को कल्पना नहीं थी कि इतनी जल्दी वह हमेशा के लिए अलग होंगे।

मान्यवर, हम अपने और अपने दल की संवेदना उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने की प्रार्थना चाहते हैं।

*श्री प्रदीप कुमार यादव—

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी, नेता सदन, नेता विरोधी दल और विभिन्न दलों के नेताओं ने जो विचार स्वर्गीय संजय गाँधी के संबंध में प्रकट किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। साथ ही साथ जहाँ तक स्वर्गीय संजय गाँधी का ताल्लुक है वह अपनी बेसहारा माँ के सहारा देने वाले पुत्र थे। जिस समय काँग्रेस लड़खड़ा रही थी उन्होंने काफी मजबूती के साथ अपने दल को शक्तिशाली बनाने में योगदान दिया। अचानक कम उम्र में उनकी मृत्यु हो जाने से यह खबर सुन कर मुझे बड़ा सदमा हुआ। मैं इस सम्बन्ध में अपने दल की ओर से माननीय अध्यक्ष के द्वारा उनके शोक सन्तप्त परिवार को अपनी संवेदना भेजना चाहता हूं। मुझे आशा है कि अध्यक्ष महोदय मेरी संवेदना को भेज देने का कष्ट करेंगे।

*श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, स्वर्गीय संजय गाँधी के असामयिक निधन से जो दुख पूरे देश को पहुंचा है वह ऐसा है कि जिस ढंग से उनकी मृत्यु हुई है उससे विरोध में रहने वाला भी दुखी हुए बिना नहीं रहेगा। बावजूद वैचारित मतभेद के संजय गाँधी में जो अदम्य साहस देखने को मिला वह उनकी उम्र के लोगों में शायद ही किसी में देखने को मिला हो। मान्यवर, जो उद्गार यहाँ पर व्यक्त किये गये हैं उन उदगारों के साथ अपने को सम्बद्ध करते हुए हमारी ओर से भी श्रद्धांजलि के पुष्प उनके शोक संन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

श्री ए० सी० ग्राइस—

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री, लीडर आफ अपोजीशन तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो विचार रखे हैं उनमें हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी सम्मिलित हैं। जब यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घटना हुई थी उस समय बिशप ने मुझे टेलीफोन किया था क्या वाकई यह सच है। मैंने गवर्नमेंट हाउस को टेलीफोन किया तो वहां से सूचना मिली, हां सही है। हमारे गिरजे में रोज प्रेयर होती है कि श्रीमती गांधी तथा उनके परिवार को ईश्वर हिम्मत दे इस दुखद घटना को बर्दाश्त करने के लिए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी तथा मेरी कम्युनिटी की ओर से उनके परिवार को हमारी सिम्पैथीज पहुंचा दी जायें।

*श्री संजय सिंह—

सम्मानित अध्यक्ष जी, सदन के तथा तमाम दलों के नेताओं ने स्वर्गीय श्री संजय गांधी के प्रति जो अपनी संवेदना जाहिर की है और जिस प्रकार आज इस देश के सारे नवजवान तथा नागरिक उनके प्रति संवेदनशील हैं उससे ऐसा जाहिर नहीं होता कि हमारे बीच में संजय जी नहीं हैं क्योंकि 'ही लिव्ड इन ऐक्शन एण्ड डाइड इन एक्शन।" जाहिर है कि पूरे विश्व में यूथ मूवमेन्ट रहा है लेकिन संजय गांधी के नेतृत्व में इस देश में जो यूथ मूवमेन्ट चला और उसके द्वारा इस देश में जो नव निर्माण उन्होंने किया तथा कार्यक्रम चलाया वह पूरे संसार में अपने आप में एक उदाहरण है। उनके स्वर्गवास से कोई व्यक्तिगत क्षति नहीं हुई है बल्कि यह पूरे राष्ट्र की एक क्षति है। जहां तक हम लोगों की बात है हम लोगों के लिए तो वह बहुत अच्छे भाई थे, और एक अच्छे दोस्त थे तथा सबसे बड़े नेता थे। जहां तक अमेठी का प्रश्न है जितना अच्छा उस क्षेत्र से लोक सभा का एक प्रतिनिधि हम लोगों को नसीब था, मुझे विश्वास है कि उतना अच्छा प्रतिनिधि किसी लोक सभा क्षेत्र में नहीं रहा होगा। इसलिए कि जब उनके चुनाव लड़ने की बात आयी तो उन्होंने खोजा कि प्रदेश में सबसे पिछड़ा इलाका कौन सा है और उसमें अमेठी को उन्होंने चुना। इससे जाहिर होता है कि जो भी उनके कार्यक्रम थे, जो भी उनकी इच्छा थी, जो भी उनकी तमन्ना थी उसका आधार यही था कि इस देश का जो सबसे पिछड़े नागरिक, सबसे पिछड़े तबके सबसे गरीब समुदाय को ऊपर उठाने और उसकी समृद्धि के लिए सर्वप्रथम कार्य होना चाहिये। जो भी उनके कार्य-क्रम थे चाहें वे युवा कांग्रेस के जरिये लागू किये जा रहे हो, यह इस देश और प्रदेश के गरीब, पिछड़े, मुसलमान, हरिजन, बैकवर्ड को उठाने की बात हो, उनके मन में यही बात थी कि किस तरह से इस देश में गरीबों को उठाया जाय। उनके हर कार्यक्रम, उनकी हर तमन्ना में गरीब समुदाय जुड़ा हुआ था। आज ऐसे महापुरुष, ऐसे युवा नेता के न रहने से जो कमी हुई है, मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो उस कमी को दूर कर सके। परन्तु हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जो उनके सिद्धान्त थे, जो उनके कार्यक्रम थे, जो उनकी इच्छा थी इस देश में कुछ करने की, उनकी उन तमाम भावनाओं को इकट्ठा करके उनका अनुसरण करने की आवश्यकता है। वही हमारे लिये एक सच्चा स्मारक होगा और वही हमारी उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी ताकि आने वाली पीढ़ी सदियों तक उनकी उन भावनाओं को जिन्दा रख सके। मैं इस सदन की तरफ से और सदन के नवजवान भाइयों की तरफ से यह चाहता हूं कि हमारी प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी, जिनका हृदय आज हिमालय का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। जहां एक तरफ संजय गांधी की अर्थी उठ रही थीं वहीं दूसरी ओर उनके दिल में यह बात थी कि किस तरह से असम की समस्या को सुलझाया जाय और किस तरह से वे समस्यायें दूर हों। मैं चाहता हूं कि ईश्वर उनके हृदय को इतना सबल बनाये और वे इतनी लम्बी उम्र तक जियें और इस देश में एक संजय गांधी की जगह पर हिन्दुस्तान का तमाम अवाम संजय गांधी बने और उनके लिए वह उसी तरह से सहायक सिद्ध हो। मैं अपने हृदय से ईश्वर से यही चाहता हूं कि उनके कार्यक्रम, उनके दिल की तमन्ना गरीबों के प्रति जागरूक रहें और हम सब मिलकर उसमें और मजबूती लायें।

धन्यवाद।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो श्री संजय गाँधी के बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं उनमें मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं। जहाँ तक श्री संजय गाँधी का सम्बन्ध है और उनके इतिहास का सम्बन्ध है वे उस घराने से आते थे जिसके पीछे एक लम्बा इतिहास रहा है और जिन्होंने भारतवर्ष में आजादी की लड़ाई लड़ी है। पंडित मोती लाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्री फिरोज गाँधी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, के परिवार का इतिहास इस बात का प्रतीक है कि वह उन लोगों में से थे जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और बहुत सारे काम किये। जहाँ तक श्री संजय गाँधी का संबंध है वह उन लोगों में से थे जो तुरन्त निर्णय लेते थे और उनके पीछे कोई चापलूसी की बात नहीं होती थी। वह यह नहीं चाहते थे कि फैसला बाद में हो चाहे इधर हो या उधर हो और उनका जो निर्णय होता था वह सही होता था, तुरन्त निर्णय करने की उनकी आदत थी। इस देश के नौजवानों में एक जाग्रति आई, नवजवानों का एक आन्दोलन हुआ और लाखों की तादाद में नवजवान उनके पीछे दीवाने होकर एक उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिये उमड़ पड़े दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है हमारी इस पीढ़ी का कि वह नहीं रहे। उन्होंने जो कार्यक्रम दिये, मुल्क में एक वातावरण पैदा किया और जो खाई चली आ रही थी लीडरशिप की, उसमें वह प्रगति लाये लेकिन अब उसमें कमी आ गई है। जो माननीय सदस्य यहाँ पर बैठे हैं चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों तभी सच्चे माने में श्रद्धांजलि उनके प्रति अर्पित कर सकते हैं, जब कि जो रास्ता उन्होंने दिखाया था और जो अधूरे कार्य वह छोड़ गये हैं उनको पूरा करें और इस देश में जो खाई आई है उसे पाटने की कोशिश करें। इन शब्दों के साथ जो भावनायें माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल ने और अन्य माननीय विरोधी दलों के नेताओं तथा माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है, जो श्रद्धांजलि अर्पित की है मैं उसको उनके शोक संतप्त परिवार को भेज दूंगा। अब दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

सभापति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, डाक्टर वीरेन्द्र स्वरूप के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, डाक्टर वीरेन्द्र स्वरूप, सभापति विधान परिषद् के निधन पर हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। वीरेन्द्र स्वरूप जी जिस पद पर रहे उसका उन्होंने दक्षता और कुशलता के साथ निर्वहन किया। उनकी सेवायें केवल सभापति पद पर ही नहीं रही बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाय तो बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर शिक्षा तक 30 वर्षों तक वह हमेशा लगे रहे। मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ है उनसे सम्पर्क रखने का और विद्यालयों के संबंध में मान्यता प्राप्त करने का। मैं कभी उनसे निराश नहीं हुआ हूं। इन सबसे ऊपर जो चीज उनके सम्पर्क में आकर मुझे महसूस हुई वह उनका मृदु स्वभाव, सहनशीलता और मुस्कराता हुआ चेहरा था। जो राजनीतिक कटुता और उसकी गुत्थियों में भी उनके स्वभाव में नहीं आई। यह उनके चरित्र की बहुत बड़ी ऊंचाई है जो हम लोगों के लिये भविष्य में एक मार्गदर्शन का भी स्रोत रहेगा इन शब्दों के साथ मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं आपके माध्यम से प्रकट करता हूं।

श्री राजेन्द सिंह—

कार्यकारी अध्यक्ष, डाक्टर वीरेन्द्र स्वरूप जी का निधन 26 फरवरी को लखनऊ में हुआ श्रीमन्, उससे एक दिन पूर्व ही संध्या उन्होंने राज्यपाल श्री तपासे को विदाई भोज दिया था,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन किसी भी व्यक्ति को यह पता नहीं था कि दूसरे दिन सुबह वह इस दुनियाँ से चले जाएंगे। श्रीमन्, डाक्टर वीरेन्द्र स्वरूप जी 1956 में विधान परिषद् के सदस्य चुनकर आये थे और तब से यही रहे और सन् 69 में वह विधान परिषद् के सभापति निर्वाचित हुए थे तब से लगातार वह उसके सभापति बने रहे। वह साथ ही एक अच्छे शिक्षाविद् और पार्लियामेण्टेरियन थे। कामनवेल्थ और विदेशों में भी उनको जाने का मौका मिला। कई पार्लियामेन्टरी डेलीगेशन्स में वह गये थे और उसमें उन्होंने एक अच्छा नाम अर्जित किया था। नेता सदन ने डाक्टर वीरेन्द्र स्वरूप के प्रति जो उद्गार प्रकट किये है, मैं और मेरा दल उससे अपने को सम्बद्ध करते हैं और मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपसे निवेदन है कि आप हमारी भावनाओं को, संवेदना के भावों को शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री राज मंगल पाण्डेय---

स्वर्गीय डाक्टर वीरेन्द्र स्वरूप जी के प्रति नेता सदन और नेता विरोधी दल ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं उन भावनाओं के साथ अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी और मेरे दल की भावनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

जो उद्गार नेता सदन, नेता विरोधी दल और नेता कांग्रेस (अर्स) ने व्यक्त किये हैं, मैं और मेरा दल अपने को उससे सम्बद्ध करता है। उनका स्मरण न केवल एक राजनैतिक नेता के रूप में, शिक्षा के क्षेत्र में कर्मठ योगदान करने वाले शिक्षाविद्, आर्यसमाजी नेता और दयानन्द जी के विचारों को प्रशस्त करने वाले नेता और उस क्षेत्र में काम करने वाले और योगदान देने वाले के रूप में भी स्मरण किया जायेगा। मैं अपने और अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक सन्तप्त परिवार तक हमारी भावनाएं पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री भीखालाल---

कार्यकारी अध्यक्ष, नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने डाटर वीरेन्द्र स्वरूप के प्रति जो भावनाएं व्यक्त की है, मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं और अपने और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी संवेदना के संदेश को आप उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

कार्यकारी अध्यक्ष जी, नेता सदन और दूसरे नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं स्वर्गीय वीरेन्द्र स्वरूप जी के सम्बन्ध में, मैं उससे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक आप हमारी संवेदनाएं पहुंचाएं।

*श्री प्रदीप कुमार यादव---

नेता सदन और दूसरे नेताओं ने जो विचार स्वर्गीय डाक्टर वीरेन्द्र स्वरूप जी के बारे में प्रकट किये हैं, मैं उससे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारी भावनाओं को उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री राम आसरे वर्मा---

स्वर्गीय श्री वीरेन्द्र स्वरूप जी के बारे में जो उद्गार इस सदन में व्यक्त किये गये है, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारी ओर से और हमारे प्रगतिवादी दल की ओर से संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ए० सी० ग्राइस—

मैं डाक्टर साहब के साथ बहुत काफी दिन रहा। वह हाई स्कूल बोर्ड के सदस्य थे और कानपुर यूनिवर्सिटी के मेम्बर भी थे। मरने के 3–4 दिन पहले वह मेरे घर गये थे और शिक्षा की प्रगति के बारे में उनसे मेरी बात हुई थी। चलते समय वह छड़ी लेकर निकले तो मैंने कहा कि छड़ी फेंक दो। हमसे तो जवान हो। लेकिन कौन जानता था कि 2–3 दिन के बाद वह हमारे बीच से उठ जायेंगे। मेरी संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और सभी दलों के नेताओं ने डा० वीरेन्द्र स्वरूप जी की मृत्यु पर अपने-अपने विचार व्यक्त किए। मैं भी उन विचारों से अपने को सम्बद्ध करता हूं। जहां तक डाक्टर साहब का सम्बन्ध है मेरा उनसे काफी सम्पर्क था। वह कानपुर में पैदा हुए थे और उन्होंने वहाँ बहुत से इन्स्टीट्यूशन्स खोले और बहुत कुछ कार्य किया। उनसे लाखों लोगों का भला होता है। वह विदेश भी गये और उन्होंने वहाँ पर हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया। शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उन्होंने बहुत से कार्य किये जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जो विचार माननीय सदस्यों ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और इस सदन की ओर से शोक संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचा दी जायेंगी। अब हम दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हुए।)

युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी, मार्शल टीटो के निधन पर अपनी सम्वेदनाएं प्रकट करते हुए मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मार्शल टीटो केवल युगोस्लाविया के ही नहीं थे, बल्कि वह सम्पूर्ण संसार के थे। वैसे तो उनके सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन उनका भारत से बहुत गहरा सम्बन्ध था। अपनी युवावस्था में अपने देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने उन सभी साम्राज्यवादी और तानाशाही शक्तियों के विरुद्ध आवाज उठाई और समाजवादी सरकार की स्थापना की। स्वर्गीय पं० जवाहर लाल नेहरू, प्रेसीडेन्ट नासिर और मार्शल टीटो ने जिस विदेश नीति की घोषणा की वह एक स्थायी देन रही है। मार्शल टीटो केवल इतिहास ही नहीं वरन् भविष्य बन गये हैं। जितने भी नान-ए लाइड देश हैं वह उनसे सदैव प्रेरणा लेंगे और वह उनकी आधार शिला है। मैं इन शब्दों के साथ मार्शल टीटो के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं मेरी संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचा दी जायं।

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी, मार्शल टीटो ने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में प्रारम्भ किया था। श्रीमन्, उसके बाद वे यूगोस्लाविया के प्रधान मंत्री और 1953 में राष्ट्रपति बने और जीवन पर्यन्त वे वहाँ के राष्ट्रपति रहे। मार्शल टीटो संसार की गुटनिर्पेक्ष नीति के प्रवर्तकों में से एक थे। मार्शल टीटो उस त्रिमूर्ति, जिसमें स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू और प्रेसीडेन्ट नासिर थे, में एक थे। श्रीमन्, जहाँ युगोस्लाविया ने अपना एक महान नेता, उनके निधन से खोया उसी जगह संसार ने शाँति का एक महान नेता खो दिया। संसार को उनके निधन से अपार क्षति हुई है और उनका अभाव हमेशा खटकता रहेगा श्रीमन्, मैं और मेरा दल मार्शल टीटो के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप उनके राष्ट्र को हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, मार्शल टीटो इस दुनिया के उन महान व्यक्तियों में से हैं जिनको इतिहास और काल कभी ग्रसित नहीं कर सकेगा। उन्होंने स्वयं इतिहास बनाया है। केवल अपने देश का ही नहीं, बल्कि दुनिया की जितनी भी नानएलाइंड कन्ट्रीज हैं, उनके लिए।

मान्यवर, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि दुनिया जब विकसित देशों के पीछे, पिछलग्गू की तरह आगे बढ़ रही थी उस समय मार्शल टीटो ने बानडूंग कान्फ्रेंस में 5 प्रिंसिपुल्स को जिसमें प्रिंसिपुल आफ कोएग्जिस्टेन्स, सहअस्तित्व की भावना को प्रतिपादित किया था। आज इतिहास बताता है कि चाहे वह हिन्दुस्तान हो, यू0 ए0 आर0 हो या युगोस्लाविया हो या आसपास के जितने भी देश हैं तय किया था कि हम विकसित देशों के पिछलग्गू न बन कर और पावर ब्लॉक में शामिल न होकर अपनी नीति अलग से निर्धारित करेंगे जो हमारे देश के लिए हितकर हो। उसमें क्या कामयाबी मिली इस बात से साबित होता है कि इस देश में भी बहुत से प्रधान मंत्री बदले, अलग-अलग विचारधाराओं के भी आये लेकिन नेहरू जी की जो नीतियाँ थीं उनसे विचलित नहीं हो सके। युरोप में शायद ही कोई देश ऐसा हो जो रूस के आतंक से, उनकी नीतियों से प्रभावित न हुआ हो, लेकिन मार्शल टीटो ने अपने देश को अपना नेतृत्व देकर उन सारे प्रभावों को दूर केवल योरोप में ही नहीं अपितु सारी सोशलिस्ट रिपब्लिक्स में जो ख्याति और लोक प्रियता हासिल की वह अभी तक कोई नहीं कर सका। उन्होंने कभी भी आदर्शों से समझौता नहीं किया। अपने ही देश में नहीं बल्कि दुनियां में जहाँ भी जनता अन्याय से पीड़ित रही, जहाँ-जहाँ भी मानवता की पुकार हुई वहाँ पर मार्शल टीटो किसी न किसी रूप में विद्यमान पाए गये। मान्यवर, ऐसे व्यक्ति के निधन से सारे विश्व के लोगों को दुख हुआ होगा। उनका संबंध हमारे जवाहरलाल नेहरू जी से तो बहुत घनिष्ट था और भारत के साथ जैसा उनका संबंध रहा बहुत ही कम देशों के साथ वैसा रहा होगा। उनके साथ हमारा संबंध केवल व्यापार का संबंध नहीं था, बल्कि दिल और ईमान का सम्बन्ध था, दोनों देशों की मित्रता का संबंध था। दुनिया के राजनीतिक चाहे जो कुछ भी सोंचें, लेकिन मार्शल टीटो और जवाहर लाल जी का, भारत और यूगोस्लाविया का ऐसा संबंध था कि दोनो ही देश एक दूसरे की मुसीबत में सहयोग देते थे। वे सारी दुनिया को ही रोशनी देते थे। मार्शल टीटो जैसे व्यक्ति से केवल हमारे ही देश के लोग नहीं, वरन् सारी दुनिया के लोग किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए हैं और उनके विचारों तथा उनकी नीतियों का प्रभाव पड़ा है। हमारी प्रार्थना है कि आप हम लोगों की भावनाएं उनके परिवार तथा उनके देश में पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मार्शल टीटो के सम्बन्ध मेंयहाँ पर माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता कांग्रेस (अर्स) आदि ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। आज मार्शल टीटो के रूप में विश्व से एक ऐसी हस्ती उठ गयी है जिसने अपना सारा जीवन ही दुःखीऔर गरीब व्यक्तियों के उत्थान मेंलगाया। सबसे बड़ी विशेषता उनकी थी कि वे साम्यवादी विचारों के होते हुए किसी गुटविशेष के सदस्य नहीं रहे। गुट निरपेक्षता मेंही सदैव उनका विश्वास रहा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से उनके प्रति तथा उनके राष्ट्र के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं जिसे आप उनके देश तक भेजने का कष्ट करें।

श्री भीखालाल—

मान्यवर, मार्शल टीटो के निधन से खाली यूगोस्लाविया ने ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया के गरीबों और मजदूरों ने अपने नेता को खो दिया है। मार्शल टीटो ने अपने देश में अपने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भीखा लाल]

एक विचार, एक दर्शन और एक नीति को लेकर अपने देश का निर्माण किया और उन्हीं के कारण उनका छोटा सा देश दुनिया के देशों में एक प्रगतिशील देशों के कतार में खड़ा है। मार्शल टीटो ने और पंडित नेहरू ने सारे विश्व को एक ही ज्योति—शान्ति और गुट-निर्पेक्षता की दी जिसके सहारे विश्व के अनेक देश आगे बढ़े, अपने पैरों पर खड़े हुए। और समाजवादी देशों से अपने को मुक्त रख सके। इसी के कारण ही तमाम विकासशील देश आज मार्शल टीटो को श्रद्धा और स्नेह की दृष्टि से देखते थे। मार्शल टीटो ने कभी भी अपने सिद्धान्तों से और देश की कीमत से किसी से समझौता नहीं किया और इसी लिये वे जीवन पर्यन्त अपने देश में एक निर्विवाद नेता की हैसियत से रहे। उनके निधन से आज सारा विश्व दुखी है। इन शब्दों के साथ, जो कुछ विचार माननीय नेता सदन की ओर से, और अन्य नेताओं की ओर से सदन में व्यक्त किये गये मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हुआ अपनी ओर से और अपने दल की ओर से स्वर्गीय मार्शल टीटो के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी यह संवेदनाएं उनके देश तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, स्वर्गीय मार्शल टीटो की मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई वह उनके संघर्षमय जीवन की कहानी है। वह आजीवन अन्याय, अनाचार, शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ते रहे और इन दिनों में मौत से जितनी लम्बी लड़ाई लड़ी वह भी अपने आप में एक मिसाल है। मान्यवर, वह यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे। उन्होंने द्वितीय महायुद्ध में उस राष्ट्र का निर्माण किया। लेकिन वह विश्व के गुट निरपेक्ष देशों के भी नेता थे। हमारे देश से उनके सम्बन्ध मधुर थे, मित्रता का भाव था। जब भी हमारे देश पर मुसीबत पड़ी सदव उन्होंने निर्भीकता से हमारा साथ दिया। ऐसे नेता की मृत्यु से निश्चय ही हम दुखी हैं। कृपया हमारा और हमारे दल का जो उद्गार है, जो श्रद्धांजलि है, वह उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री प्रदीप कुमार यादव—

माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन, नेता विरोधी दल और विभिन्न दल के नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं स्वर्गीय मार्शल टीटो के प्रति, उनसे मैं अपने दल को और अपने को सम्बद्ध करता हूं। मार्शल टीटो विश्व के ऐसे महान व्यक्तियों में थे जिन्होंने हमेशा सिद्धान्त की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अन्त में वह बराबर बीमारी के शिकार रहे और उनका स्वर्ग-वास हो गया। मैं स्वर्गीय मार्शल टीटो को अपनी ओर से और अपने दल को ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि शोक संतप्त परिवार तक हमारी भावना पहुंचाने की कृपा करेंगे।

*श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, स्वर्गीय मार्शल टीटो के निधन पर जो उद्गार इस सदन में व्यक्त किये गये हैं उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मार्शल टीटो के दिल में सिर्फ युगोस्लाविया की जनता के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया की शोषित, पीड़ित जनता के लिए दर्द था और उस दर्द को दूर करने के लिये वह जीवन पर्यन्त रास्ता खोजते रहे और रास्ते पर चलते भी रहे। उन्होंने साम्राज्यवाद के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और एक बन्दी के रूप में जीवन बिताया। गुट निरपेक्ष नेता के रूप में उन्होंने विकासशील देशों को गुटों से अलग रखने का प्रयास किया।

हम सब उनके निधन से दुखी हैं और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं आप से आग्रह करता हूं कि हमारी ओर से और हमारी दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार तथा उनके शोकसंतप्त देश तक हमारी संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने मार्शल टीटो के बारे में जो श्रद्धांजलि अर्पित की है और जो अपने विचार प्रकट किये हैं मैं भी अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। जहाँ तक मार्शल टीटो का सम्बन्ध है उनके बारे में काफी कहा जा चुका है। वह एक गरीब घर में पैदा हुए थे जो छोटेपन से छोटी बात को लेकर अपने देश में बहुत बड़े व्यक्ति बने। सेना में भर्ती हुए और बंदी बन कर कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण किया, जब देश में हाहाकार मचा हुआ था। उन्होंने पंडित जवाहर लाल नेहरू को साथ लेकर, उनका सहयोग लेकर, हमारे देश की ही नहीं, अपने देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की बहुत सी समस्याओं को हल किया। उनका हमारे देश के प्रति मैत्री का भाव रहा। तो जहाँ तक उनका सम्बन्ध है उनको हम भूल नहीं सकते। इन शब्दों के साथ मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जो उद्गार माननीय सदस्यों ने प्रकट किये हैं, उनके परिवार को मैं सदन की तरफ से भिजवा दूंगा। कृपा करके समस्त सदस्य दो मिनट के लिए मौन खड़े हो जायं।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

विधान सभा सदस्य श्री सादिक अली खां के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी, हमारी वर्तमान विधान सभा के सदस्य नवाब सादिक अली खां साहब हम लोगों के बीच नहीं रहे। आज यह प्रथम बैठक है। चुने जाने के बाद प्रथम बैठक में भी वह हम लोगों के बीच नहीं आ सके। जिन लोगों ने उनको चुना था आज वह रहते तो उनके माध्यम से उनकी आशायें, अभिलाषाएं इस सदन में मुखरित होतीं। उनकी सलाह से हम लोग वंचित रहे। इस क्षति के प्रति अपना दुःख और शोक प्रकट करते हुए उनके संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं तथा उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी, मरहूम नवाब सादिक अली खां साहब प्रथम बार गत चुनाव में इस विधान सभा के सदस्य चुने गये थे लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था कि नवाब साहब इस विधान भवन में पहुंच सकें। यह एक बिडम्बना ही है। गत 27 तारीख को शपथ के समय भी उपस्थित न हो सके क्योंकि 21 जून को ही उनका निधन हो गया था। श्रीमन्, उनके परिवार के प्रति मेरी और मेरे दल की संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राज मंगल पाँडेय—

मान्यवर, नेता सदन और नेता विरोधी दल ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं उनसे मैं स्वयं को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हम लोगों की भावनाओं को नवाब सादिक अली खां साहब के दुःखी और संतप्त परिवार तक पहुंचा दिया जाय।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, शाहजहाँपुर से निर्वाचित नवाब सादिक अली खां साहब के निधन पर जो उद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा माननीय नेता काँग्रेस (अर्स) ने व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने आप तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध थे। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी तथा मेरे दल की भावनाएं उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, स्वर्गीय नवाब सादिक अली खां साहब के निधन पर मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर स शोक और संवेदना व्यक्त करता हूं और आप से अनुरोध करता हूकि मेरी इस संवेदना को उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, नवाब सादिक अली खां साहब के निधन से हमें और हमारे दल को बहुत कष्ट है जो भावनाएं नेता सदन, नेता विरोधी दल और दूसरे नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनके साथ हमारी और हमारे दल की संवेदनाएं, उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, जो विचार नवाब सादिक अली खां साहब के निधन पर माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने प्रकट किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, वह घड़ी जिस समय उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया कितनी खुशी रही होगी। लकिन अफसोस की बात है कि उन्हें इस सभा में आने का मौका ही नहीं मिला। इससे मुझे और मेरे दल को हार्दिक कष्ट है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी संवेदनाएं जो हैं, मेरी श्रद्धांजलि जो है, उनके दुःखी एव संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, शाहजहाँपुर से नव निर्वाचित विधायक नवाब सादिक अली खां के निधन पर जो उदगार माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल व अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी ओर से और हमारे दल की ओर से श्रद्धांजलि के पुष्प शोक सन्तप्त परिवार एवं शोकाकुल क्षेत्र की जनता तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल एवं अन्य दलों के नेताओं ने जो उद्गार माननीय सदस्य श्री नवाब सादिक अली खां के निधन के बारे में प्रकट किये हैं मैं भी अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं। 21 जून, 1980 को हृदयगति रुक जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई और वह केवल 56 वर्ष के थे। ज्यादा कोई अवस्था नहीं थी। वह एक अच्छे खिलाड़ी भी थे। इससे पहले 71 और 74 की विधान सभा का चुनाव भी वह लड़े थे और किन्हीं कारणों से हार गये। पहली बार यहाँ पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। जो उद्गार यहाँ पर व्यक्त किये गये हैं उन सब की तरफ से अपनी तरफ से और इस सदन की तरफ से उनके परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भिजवा दूंगा।

अब हम लोग दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

भूतपूर्व सदस्य श्री महाबीर त्यागी, श्री वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री अखण्ड प्रताप सिंह, श्री नारायण दास, श्री काजी मोहम्मद अदील अब्बासी, श्री महेश सिंह, श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री वंशीधर शुक्ल, श्री उदित नारायण शर्मा, श्री अजीज इमाम, श्री भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री कृपा शंकर, श्री उग्रसेन के निधन पर शोकोद्गार

9019

*मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी, लगता है नियति हम लोगों से रुष्ट ही नहीं रही है बल्कि क्रुद्ध भी रही और बहुत से साथी हम लोगों के, जो इस सदन के सदस्य रहे आज वह यहाँ पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम लोगों के बीच नहीं रहे। स्व0 श्री महाबीर त्यागी, स्व0 श्री वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, स्व0 श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर, स्व0 श्री अखण्ड प्रताप सिंह, स्व0 श्री नारायण दास, स्व0 काजी मुहम्मद अदील अब्बासी, स्व0 महेश सिंह, स्व0 मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, स्व0 बंशीधर शुक्ल, स्व0 उदित नारायण शर्मा, स्व0 अजीज इमाम, स्व0 भगवती प्रसाद शुक्ल, स्व0 कृपा शंकर, स्व0 उग्रसेन हैं। यह सब जनजीवन से ऐसे सम्बद्ध लोग थे जिन्हें अपने क्षेत्र से लोगों की आशाओं में एक बहुत सक्षम योगदान दिया है। इन लोगों के जाने से जैसे हमारे चमन में से ऐसे फल तोड़ लिये गये जिससे हमारा चमन ही वीरान लग रहा है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी संवेदना इनके परिवार के लोगों के प्रति प्रकट करता हूं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी, अष्टम विधान सभा के माननीय सदस्यों को आज प्रथम दिन ही इस दुरूह कार्य को करना पड़ रहा है। श्रीमन्, पिछली विधान सभा के बाद और आज के बीच हमारे पुराने साथी इतनी अधिक संख्या में इस संसार को छोड़कर चले गये और आज प्रथम दिन ही हमें इतनी अधिक संख्या में सभी के प्रति यह संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करनी पड़ रही है। श्रीमन्, यह जीवन नाशवान है यह सभी जानते हैं। एक दिन इस संसार को सभी को छोड़ना है। लेकिन अपने पीछे कुछ व्यक्ति ऐसा छोड़ जाता है जो इस जीवन से जुड़कर संसार में यादगार बना लेता है। जिनके बारे में अभी नेता सदन ने कहा वह सभी हमारे माननीय साथी थे जो स्वर्गीय हो गये और हमारे बीच में नहीं रहे। जैसा कि अभी नेता सदन ने अपने उद्गार जाहिर करते हुए कहा कि यह सभी नेता अपने-अपने क्षेत्र के एक अच्छे कार्यकर्त्ता थे और प्रदेश की प्रगति के लिए अपने जीवन काल में बहुत कुछ कार्य किये। श्रीमन् मैं स्व0 श्री उग्रसेन के बारे में कहूंगा कि वे एक समाजवादी नेता थे। जीवन भर उन्होंने किसान और मजदूरों की लड़ाई लड़ी। वे जहाँ भी रहे बड़े त्याग और उत्साह से कार्य किये। इस सदन के सदस्य भी रहे और इसके बाद लोक सभा चले गये, वहाँ के मंत्रिमण्डल में भी रहे इसमें रहते हुए उन्होंने देश की सेवा में काफी कार्य किये और देश की प्रगति के रास्ते में अनेकों योजनाबद्ध कार्य किये और इस देश को स्वतंत्रता दिलाने, आजाद कराने में काफी सहयोग रहा। जो उद्गार मा0 नेता सदन ने व्यक्त किये, उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और सब के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा आप से निवेदन करता हूं कि हमारी संवेदना इन सभी शोक संतप्त परिवारों को भिजवाने की कृपा करें।

*श्री राज मंगल पाण्डेय--

वर्ष 1980 कुछ ऐसा वर्ष रहा है जिसमें न केवल इस प्रदेश पर और न ही केवल कुछ राजनीतिज्ञ दलों पर बल्कि मान्यवर आपके ऊपर भी सदन में पहला मौका है कि निधन का इतना बड़ा बोझ आपको उठाना पड़ रहा है। मान्यवर, इतने अच्छे-अच्छे लोग हम लोगों से अलग हो जायं, जिनके कार्यों और विचारों से जो देश की समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलती थी, उससे न केवल हम लोग बंचित हुए बल्कि देश के लिए स्वतः एक बहुत बड़ी घटना है। मान्यवर, यह तो सभी जानते हैं कि यह सभी ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने विचारों से सदन को प्रभावित ही नहीं किया बल्कि अपने ओजस्वी भाषण से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजमंगल पाण्डेय]
कभी-कभी ऐसे मौके आए हैं कि विरोध पक्ष के लोगों को और सारे सदन को प्रभावित किया और शासक पक्ष को भी इनके सामने झुकना पड़ा है। स्व0 श्री उदित नारायण शर्मा, उग्रसेन तथा अजीज इमाम इनकी यादें सदैव साथ रहेंगी। इनके महत्वपूर्ण विचारों से, इनकी राय से देश की अनेक संस्थाओं को चलाने में बहुत मदद मिली है। इस देश और प्रदेश से जहाँ-जहाँ से यह लोग संबंधित थे उन क्षेत्रों की काफी क्षति हुई है। श्री उदित नारायण शर्मा ने अपने राजनीतिक क्षेत्र में जो कुछ पैदा किया, प्रतिष्ठा पैदा किया। उनके कार्य किसीभी मायने में एक एडवोकेट होने के नाते भी मान्यवर, जहाँ-जहाँ सार्वजनिक कार्यकर्त्ता को आवश्यकता पड़ी, चाहे वह बस्ती में रहा हो, गोरखपुर में रहा हो या किसी कोने में रहा हो, उन्होंने उसकी सेवा निःशुल्क की। उग्रसेन जी, न केवल आजादी की लड़ाई के योद्धा थे बल्कि जहाँ-जहाँ अन्याय या इस किस्म की विषमतायें आईं, वे हमेशा लड़ते रहे और उन्होंने एक विशेष स्थान बना लिया। ऐसे लोगों के निधन से बहुत बड़ा दुःख पहुंचा है। प्रदेश में शून्यता का अनुभव कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी, मेरे दल की सद्भावनायें उनके परिवार तक पहुंचा दें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

पुरानी पीढ़ी के अनुभव सिद्ध राजनीतिक नेता हमारे बीच से उठते जा रहे हैं। यह बहुत दुःखद बात है। बड़ी लम्बी सूची है। इसमें अनेक विभूतियाँ है जिनका नाम सदा लिया जायेगा। उग्रसेन जी, इस विधान सभा में प्रतिपक्ष के एक सशक्त स्तम्भ रहे। एक जागरूक नेता की हैसियत से उन्होंने अपनी भूमिका निभायी। ट्रेड यूनियन के भी क्रियाशील नेता थे। सीतापुर से मैं आया हूं, वे लखीमपुर के रहने वाले थे, अगर मुझे ठीक स्मरण है तो उन्होंने कभी इस विधान सभा में वेतन नहीं लिया। श्री बंशीधर शुक्ल अवधी के सर्वोच्च कवि थे। आजादी की लड़ाई में गाँव-गाँव घूम कर अपनी कविता के माध्यम से जागरूकता पैदा किया करते थे। उनकी 'राजा की कोठी' शीर्षक कविता से लोग झूम उठते थे। उनके न रहने से एक सर्वोच्च साहित्यकार हमारे बीच से उठ गया जिसकी पूर्ति होना बहुत ही कठिन है। उदित नारायण शर्मा के नाम की चर्चा हुई ये विधायक रहे, मंत्री भी रहे। जब कभी गहन मुद्दा उठता था उस समय सूझ-बूझ पूर्ण उनके विचार बड़े आदर से सुने जाते थे लेकिन जिस ढंग से और जिस परिस्थिति में उनकी मृत्यु हुई उसके बारे में कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई वह हमारे शासन के लिए एक कलंक था।

श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया। उनको भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और नेता सदन, नेता विरोधी दल नेता कांग्रेस (अर्स) ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं और आग्रह करता हूं कि हमारी संवेदनाएं इन सब के परिवारों, क्षेत्र की जनता तक को पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री भीखा लाल--

भूतपूर्व साथियों के निधन के संबंध में नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं अपने को, अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हू। इसमें बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ इस सदन में मुझे भी काम करने का अवसर मिला। इन सभी व्यक्तियों की सेवायें हमारे देश के लिए काफी सराहनीय रही हैं। कुछ साथियों से मेरा सम्पर्क रहा उनमें कुछ न कुछ ऐसे विशेष गुण जरूर रहे हैं जिन्होंने मुझे प्रभावित किया। चाहे उग्रसेन जी हों, चाहे उदित नारायण शर्मा जी हों, चाहे बंशीधर शुक्ल जी हों, अजीज इमाम जी हों और भी साथी रहे हैं, इनमें कुछ न कुछ ऐसा रहा जिसने हमारे व्यक्तित्व को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रभावित किया। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से इन सभी महान आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी श्रद्धांजलि इन सभी के शोकाकुल परिवारों को पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय सदस्यों की जो लम्बी लिस्ट हमारे सामने है उससे हमारे प्रदेश के राजनैतिक वातावरण में कितना बदलाव आया है इसका अहसास हो जाता है। सभी माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में सार्वजनिक जीवन में एक ऊंचाई पर थे। जीवन भर अपने इलाके को बढ़ाने का काम किया। कुछ खास लोग हैं जिनसे मैं सम्बद्ध रहा हूं। पंडित उदित नारायण शर्मा जिनकी अकाल मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई है उससे भी शर्मनाक कोई बात क्या हो सकती है ? यदि राजनैतिक जीवन इस तरह से आतंकित रहेगा तो कौन राजनैतिक जीवन में आने का संकल्प करेगा। उग्रसेन जी जो पूर्वांचल के सेनानी थे उन्होंने पूर्वी जिलों के लिए स्मरणीय कार्य किए। बम्बई के मजदूरों को लेकर गोरखपुर, देवरिया के मजदूरों को संगठित करके, रेल मजदूरों को संगठित करके, गन्ना मजदूरों को संगठित करके संगठन के कार्य में जो योगदान दिया है वह उग्रसेन जी की ही उपलब्धि है। अभी हजरतगंज में कुछ दिन पहले मिले थे, वह खिन्न से लग रहे थे, कहने लगे विधान सभा को गरमाये रखना, पूर्वांचल की आवाज दबने न पाये। पूर्वांचल की आवाज दब गयी। हरिजन मजदूरों का मसीहा चला गया।

मान्यवर, जो भावना हमारे नेता सदन और नेता विरोधी दल तथा हमारे दूसरे साथियों ने रखी है उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी संवेदनायें इन सभी सदस्यों के शोकाकुल परिवारों तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

जिन माननीय सदस्यों के विषय में माननीय नेता सदन ने शोक प्रस्ताव रखा है और उसका समर्थन माननीय नेता विरोधी दल ने तथा अन्य नेताओं ने किया है उससे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। कुछ लोगों से मेरा व्यक्तिगत परिचय रहा है। उग्रसेन जी समाजवादी नेता रहे हैं। तीन बार वह इस सदन के सदस्य रहें। जनता की तकलीफों को लेकर कई बार उन्होंने आन्दोलन भी किया। बड़े दुख की बात है कि वह कम उम्र में ही इस दुनिया से चले गये। जनता ने उनके कन्धों पर जो भार सौंपा था उसे वह पूर्णतया निभा नहीं सके थे। उदित नारायण शर्मा जी इस सदन के तीन बार सदस्य चुने गये। 67 में उन्होंने राजस्व मंत्री की हैसियत से यहाँ पर कार्य किया, उनका कार्य अद्वितीय रहा। फौजदारी के वह एक अच्छे वकील थे। जब वह रात्रि के समय अपने क्षेत्र का दौरा करके आ रहे थे कि अचानक उनके ऊपर हमला कर दिया गया और वहीं पर उनके प्राण पखेरू उड़ गये। ऐसी हालत में मुझे उनके तथा उनके परिवार के प्रति बड़ी हमदर्दी है। इसके अलावा श्री बंशीधर शुक्ल जो इस माननीय सदन के सदस्य रहें हैं और अवधी के एक अच्छें कवियों में थे आज हमारे बीच में नहीं हैं। साथ ही साथ अन्य जो माननीय सदस्य नहीं रहे हैं उनके प्रति मेरी संवेदना और साथ ही साथ मेरे दल की संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, स्वर्गीय भूतपूर्व माननीय सदस्यों के बारे में जो उद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं, तथा आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी ओर से श्रद्धांजलि के पुष्प शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, विरोधी दल के नेता तथा अन्य माननीय नेताओं व सदस्यों ने जो उद्गार प्रकट किये हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की है, मैं भी उससे अपने को संबद्ध करता हूं। श्री महावीर त्यागी उन दिग्गज लोगों में थे जिन्होंने देश की आजादी को प्राप्त करने के लिये कुर्बानियाँ कीं। वह यहाँ भी रहे, एम0 पी0 रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे। पंडित जवाहर लाल नेहरू की सरकार में वह मंत्री थे। उनके चुटकुले बहुत मशहूर थे। श्री वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर बुलन्दशहर जिले के रहने वाले थे। ग्रेजुएशन इत्यादि करन के बाद वह म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन रहे। उन्होंने बहुत अच्छा सामाजिक कार्य किया। श्री धुलेकर जी झांसी के रहने वाले थे वह विधान परिषद् के चेयरमैन थे। भारत की आजादी के लिये उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ कीं और कार्य किया। और जिन माननीय सदस्यों के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा मैं उससे अपने को सम्बद्ध करते हुये उनके परिवारों को इस सदन की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए समवेदना भिजवा दूंगा। अब इन दिवंगत आत्माओं की शाँति के लिए कृपा करके दो मिनट और खड़े हो जायं।

(सभी सदस्य दो मिनट अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

सदन की 4 व 5 जुलाई, 1980 को बैठक न होने एवं 7 जुलाई, 1980 को अध्यक्ष का निर्वाचन होने के सम्बन्ध में सूचना

श्री कार्यकारी अध्यक्ष—

मुझे सदन उठने से पहले एक सूचना देनी है। आज सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है उसके अनुसार अब 4 व 5 जुलाई, 1980 को सदन की बैठक नहीं होगी। श्री राज्यपाल ने अध्यक्ष के निर्वाचन के लिये 7 जुलाई, 1980 नियत की है। अतः उस दिन अध्यक्ष के निर्वाचन के उपरान्त श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा प्रारम्भ होगी। अब हम उठते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी कोई सुझाव हैं ?

आज की बैठक स्थगित किये जाने का सुझाव

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी, इस सारे वातावरण में सभी का हृदय बोझिल है इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज इस सभा की बैठक स्थगित की जाय।

कार्यकारी अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, 7 तारीख को प्रातः 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 3 बजकर 14 मिनट पर सोमवार, 7 जुलाई, 1980 के 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित हुआ।)

सत्य प्रिय सिंह
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
दिनांक 1 जुलाई, 1980

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नत्थी "क"

(देखिए पीछे पृष्ठ 14 पर ।)

माननीय सदस्यगण,

नव वर्ष के प्रथम सत्र के अवसर पर एकत्र आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। विगत 8 अक्टूबर, 1979 को काल के क्रूर हाथों ने हमारे मध्य से लोकनायक श्री जय प्रकाश नारायण को छीन लिया। आदरणीय लोकनायक एक महान स्वतंत्रता सेनानी तथा युग-द्रष्टा थे। वह सम्पूर्ण जीवन मानवीय अधिकारों के लिये लड़ते रहे। लोकतंत्र में उनकी अटूट आस्था थी। सत्ता का लोभ उन्हें कभी स्पर्श नहीं कर सका। प्राचीन भारतीय ऋषियों की परम्परा में वह राष्ट्रपिता के समान सत्ता पर नैतिक नियंत्रण रखना चाहते थे। उन्होंने सदैव राज्य सत्ता और जनता के बीच एक सेतु का कार्य किया। उनकी मृत्यु से हुई क्षति की पूर्ति करना असंभव होगा। मैं उस महान् युग पुरुष के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

2—वर्ष 1979 में हमारे प्रदेश को पहले बाढ़ तथा बाद में शताब्दी के अभूतपूर्व सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ा। इन दैवी आपदाओं के कारण 1,081 करोड़ रुपये की अनुमानित क्षति हुयी है। मुझे हर्ष है कि मेरी सरकार अपने अथक प्रयासों से इस विषम स्थिति का सामना करने में सफल रही। सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा उन सभी कृषकों से लगान, एवं लगान की भांति वसूल किये जाने वाले कृषि संबंधी अन्य देयों की वसूली को स्थगित कर दिया गया है, जिनकी जोतों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है। सरकार द्वारा 20,000 मेट्रिक टन गेहू असहाय एव निराश्रित लोगों में निःशुल्क वितरण हेतु आवंटित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 33,500 मेट्रिक टन खाद्यान तथा 600 मेट्रिक टन दुग्ध चूर्ण और सोयाबीन का खाद्य तेल भारत सरकार द्वारा वितरण हेतु आवंटित किया गया। तकावी ऋणों के वितरण के लिये भी पिछले वर्ष की अपेक्षा चार गुने से अधिक प्राविधान किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में सहायता कार्य हेतु 8.18 करोड़ रुपये आवंटित किये जा चुके हैं। भारत सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में बाढ़ तथा सूखा सहायता कार्य हेतु आयोजनागत व्यय के लिये 31 करोड़ 21 लाख रुपया एडवांस प्लान सहायता की स्वीकृति भी दी है। यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन कृषकों की दो से चार हेक्टेयर तक जोत है उनको लघु सिंचाई कार्यों हेतु ऋण का 20 प्रतिशत अनुदान दिया जाय। जिन छोटी जोत वाले कृषकों को बैंकों से ऋण उपलब्ध नहीं होता है उन्हें स्थानीय विकास योजना के अन्तर्गत ऋण देने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

3—वर्ष 1979 में सूखे के कारण रबी की बुवाई समय पर नहीं हो पाई किन्तु नवम्बर के अन्त तथा दिसम्बर के प्रथम पक्ष में कुछ वर्षा होने पर यह बुवाई देर से सम्भव हो सकी। सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में लघु तथा सीमांत कृषकों की सहायता हेतु नत्रजन, फास्फेट, पोटाश वाले उर्वरकों और कीटनाशक औषधियों पर क्रमशः 25 तथा 33 1/3 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया गया। इस वर्ष प्रथम बार अनुसूचित जनजाति के कृषकों को उपरोक्त प्रयोजनों के लिये 50 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया गया है। साथ ही साथ अन्य कृषकों को फास्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरकों पर 20 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

4—कृषकों को राहत पहुंचाने हेतु अधिक से अधिक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी गयी और राजकीय साधनों से खरीफ में लगभग 24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गयी जो एक कीर्तिमान है। बुन्देलखंड तथा तराईलखंड क्षेत्रों में जल की उपलब्धता सर्वथा कम रही है। इन क्षेत्रों में कई बड़ी सिंचाई योजनायें प्रारम्भ की गयी है। बुन्देलखंड

क्षेत्र में चालू वित्तीय वर्ष में 100 नलकूपों के निर्माण की विशेष व्यवस्था की गयी है। गंडक समादेश क्षेत्र में 250 संवर्धन नलकूप लगाने की परियोजना भी स्वीकृत की गयी है।

5—ग्रामीण अंचलों में रहने वाले समाज के निर्बल एवं निर्धन वर्ग की दशा को सुधारने के लिए मेरी सरकार ने 2 अक्टूबर, 1978 से प्रदेशव्यापी अन्त्योदय कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सबसे अधिक गरीब पाँच लाख से अधिक व्यक्तियों का चयन कर इनके परिवारों को विभिन्न कार्यों के लिए ऋण एवं अनुदान दिये जाने की योजना चलाई गयी है। इसके अन्तर्गत 5,000 रुपये तक ऋण चार प्रतिशत के नाममात्र व्याज पर दिया जाता है। गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से यह योजनायें स्थानीय रूप से गाँव सभाओं द्वारा बनायी जाती है। अब तक 1,25,000 परिवार इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हो चुके हैं। इस योजना का और अधिक विस्तार किया जायगा। अन्त्योदय परिवार के सदस्यों द्वारा निष्पादित होने वाले 5,000 रुपये तक के ऋण संबंधी लेख पत्रों को स्टाम्प शुल्क से मुक्त कर दिया गया है।

6—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों के कृषक-श्रमिक जो स्थायी रूप से गाँव में रहते हैं तथा भूमिहीन हैं, तथा निर्बल वर्ग के अन्य जातियों के सीमान्त कृषकों को, अनुदान के रूप में आवासीय गृह की सामग्री एव अन्य सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिये 50,000 आवासीय भवनों के निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है। हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सुविधा का सृजन तेजी से किया जा रहा है। अप्रत्याशित सूखे को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को रोकने के लिए सम्पर्क मार्ग एवं पुलियों का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 1979–80 में भारत सरकार से "श्रम के बदले खाद्यान्न योजना" के अन्तर्गत अब तक 4 लाख 28 हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन हुआ है और इस समय 6 लाख 54 हजार श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है।

7—पर्वतीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिये शासन विशेष रूप से प्रयत्नशील है। यह प्रयास किया जा रहा है कि छठी योजना की अवधि के अन्त तक इन क्षेत्रों के सभी अभावग्रस्त गाँवों को पेय जल सुविधा उपलब्ध हो जाय। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में सड़कों के पुनर्निर्माण एवं सुधार, पुलों के निर्माण, हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण और पर्यटन विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूक्षरण की गम्भीर समस्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जलागम क्षेत्रों को छाँट कर उनमें एकीकृत रूप से भूमि संरक्षण के कार्यक्रम चलाये जायं। इस उद्देश्य से "हिमालय क्षेत्र में समेकित भूमि संरक्षण एवं भूमि सर्वेक्षण" नामक योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके लिये विश्वबैंक से भी सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

8—मेरी सरकार गाँव में विद्युतीकरण तथा नलकूपों और उद्योगों को अधिक से अधिक बिजली देने के लिये दृढ़ संकल्प है। इस वर्ष सूखे की विषम स्थिति के कारण बिजली की माँग बहुत बढ़ गई है। उधर अनावृष्टि के कारण जल विद्युत् के उत्पादन में भारी कमी आ गई। फिर भी सरकार द्वारा बिजली आपूर्ति का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सूखे की स्थिति से निपटने के लिये किसानों को बिजली की आपूर्ति, शहरों तथा उद्योगों में बिजली की कटौती करके की जा रही है। साथ ही साथ सरकार इस बात के लिये भी प्रयत्नशील है कि जिन तापीय विद्युत परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो गया है उन्हें शीघ्र पूरा किया जाय ताकि बिजली की आपूर्ति में वृद्धि हो सके।

9—देश की और विशेषकर इस प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी तथा बेरोजगार युवकों की संख्या को देखते हुये मेरी सरकार का यह मत है कि उसका एकमात्र उपाय

बावलम्बन, तथा गाँधीजी द्वारा प्रतिपादित श्रम पर आधारित उद्योग-धंधों को प्रोत्साहित करना है। अतः मेरी सरकार की औद्योगिक नीति विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त पर आधारित है और ऐसे उद्योगों को विशेषकर प्रोत्साहन दिया जायेगा जो अधिकाधिक युवकों को रोजगार दे सकें। सरकार का यह प्रयास है कि लघु एवं ग्रामीण उद्योगों का अधिकाधिक विकास करके ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर प्रदान किये जायें। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाया जाय और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में संवर्धन केन्द्रों का विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश के हस्तशिल्प उद्योग, विशेष रूप से कालीन उद्योग, के विकास एवं गुणात्मक सुधार के लिये तथा निर्मित वस्तु के निर्यात के लिये प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं। वाराणसी में एक एयर कारगो काम्पलेक्स स्थापित किया गया है। कानपुर में भी इसी प्रकार का एक काम्पलेक्स स्थापित किया जायेगा। जिन वस्तुओं का उत्पादन लघु एवं कुटीर उद्योग नहीं कर सकते हैं उनका उत्पादन वृहत् एवं मध्यम उद्योगों के माध्यम से किया जायेगा। किन्तु यह उद्योग छोटे उद्योगों के पूरक होंगे तथा बाजार में उनसे प्रतिद्वन्द्विता नहीं करेंगे।

10—मेरी सरकार द्वारा गन्ना कृषकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए चीनी मिलों से अधिक गन्ना मूल्य दिलाये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया। सर्वप्रथम इस प्रदेश के गन्ना इतिहास में 23 करोड़ से अधिक रुपया सहायता अनुदान के रूप में दिया गया। मेरी सरकार के इन प्रयासों के फलस्वरूप इस वर्ष गन्ना किसानों को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक गन्ना मूल्य प्राप्त हो रहा है। यह मूल्य पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक है। गन्ना कृषकों के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु विशेष प्रयास किये गये जिसके फलस्वरूप जून-नवम्बर, 1979 के मध्य लगभग 20 करोड़ रुपये अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया जो अपने आप में एक विशेष उपलब्धि है। प्रदेश में इस समय 89 चीनी मिलें कार्यरत हैं जिनमें 49 चीनी मिलें सहकारी तथा सरकारी नियंत्रण में हैं। सरकारी नियंत्रण में अधिकांश चीनी मिलें पुरानी हैं और उनकी पिराई क्षमता बहुत कम है, और आर्थिक दृष्टि से यह लाभ प्रद भी नहीं है। मेरी सरकार द्वारा यह निश्चय किया गया है कि योजनाबद्ध रूप से इन चीनी मिलों का आधुनीकरण एवं विस्तार किया जाय। इस उद्देश्य से पाँच चीनी मिलों की आधुनीकरण एवं विस्तार करने की व्यवस्था भी की जा रही है।

11—हथकरघा बुनकरों की आर्थिक उन्नति के लिये हमारी सरकार सतत प्रयत्नशील है। उपलब्ध हथकरघों की क्षमता का सम्पूर्ण उपयोग तथा उनके उत्पादन में गुणात्मक सुधार का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिये उनकी सहकारी समितियाँ सुदृढ़ की जा रही हैं। बुनकरों को उचित मूल्य पर धागा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकारी कताई मिलों की क्षमता का विस्तार कर तकुओं की वृद्धि की जा रही है।

12—प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में उन्नतिशील टेक्नोलाजी का लाभ ग्रामीण जनता को पहुंचे, इस उद्देश्य से यह निश्चय किया गया है कि प्रत्येक बहुधंधी संस्था अपने आस-पास क्षेत्र के 5–7 गाँवों को अपना कर ग्रामीण जनता को कृषि यंत्रों का उपयोग एवं मरम्मत, बिजली की मोटरों व मोटर गाड़ियों की मरम्मत आदि में अल्पकालीन प्रशिक्षण दें। सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि ग्रामीण क्षेत्र के अर्द्धशिक्षित तथा पिछड़े वर्ग के नवयुवकों को स्वतः रोजगार की ओर प्रेरित करने के लिये, प्रदेश की रोजगारी बहुधंधी संस्थाओं द्वारा अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाय।

13—संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुकूल राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये कटिबद्ध है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु शासन द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की नीति अपनाई गई है। इसके अन्तर्गत आवास के डेढ़ किलोमीटर

की परिधि के भीतर प्राथमिक विद्यालय तथा तीन किलोमीटर की परिधि में जूनियर स्कूल खोलने की योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके बावजूद जो बालक आर्थिक एवं सामाजिक कारणों से इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं उनके लिये शासन ने अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा देने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों, विशेषकर बालिकाओं के लिये, अंशकालिक कक्षाओं को खोलने की योजना पर विचार कर रही है। सूखे की विषम स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार द्वारा 7 से विश्वविद्यालय स्तर तक की सभी कक्षाओं में पढ़ने वाले उन सभी छात्रों को मार्च, 1980 तक के शिक्षण शुल्क से मुक्त कर दिया गया है जिनके अभिभावकों की कृषि की 50 प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान हुआ है अथवा जिनके अभिभावक भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं। शिक्षण शुल्क की हानि की क्षतिपूर्ति हेतु चालू वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष 190 मान्यता प्राप्त गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा 200 जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में सम्मिलित करते हुए, उनके अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को वेतन वितरण की सुविधा भी प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। मेरी सरकार द्वारा अपनी त्रिभाषा नीति के अनुसरण में हिन्दी के साथ-साथ 25 प्रतिशत अंक संस्कृत के अध्ययन के लिये अनिवार्य रखे गये हैं तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भाषाओं में से, जिनमें उर्दू भी सम्मिलित है, एक आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। अंग्रेजी यथावत् अनिवार्य रहेगी।

14—राष्ट्रीय प्रौढ़-शिक्षा के कार्यक्रम को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए मैं, स्वैच्छिक संस्थाओं, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा नेहरू युवक केन्द्रों से अपील करूंगा कि वे इस कार्यक्रम में आगे आकर सशक्त नेतृत्व प्रदान करें।

15—मेरी सरकार इस समस्या से भलीभांति अवगत है कि प्रदेश के भीतर आर्थिक विषमताओं का बना रहना प्रदेश के लिये हितकर नहीं है। राज्य सरकार ने प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं का अध्ययन कर समुचित समाधान निकालने के उद्देश्य से वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की है। आशा है कि इसकी संस्तुतियाँ शीघ्र प्राप्त हो जायेंगी। इसके अतिरिक्त योजना कार्यान्वयन में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक अन्य समिति भी नियुक्त की है जो प्रशासनिक तथा वित्त प्रणाली में समुचित सुधार करने के संबंध में अपने सुझाव देगी। मुझे आशा है कि सरकार तथा जनता के प्रयासों से प्रदेश शीघ्र ही आर्थिक विकास की ओर तीव्र गति से अग्रसर होगा।

16—प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था में इधर उत्साह वर्द्धक सुधार हुआ है। राज्य की आय में वर्ष 1978–79 में वार्षिक वृद्धि की दर 5.2 प्रतिशत रही। इसी प्रकार वर्ष 1970–71 के स्थायी भावों के आधार पर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति की आय, जो वर्ष 1976–77 में 479 रुपये थी, बढ़कर 1978–79 में 509 रुपये हो गई।

17—इस तथ्य को देखते हुए कि भीषण सूखे के कारण वर्ष 1979 की खरीफ की फसल लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गयी और धान का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में एक तिहाई रह गया, मेरी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बड़ी मात्रा में चावल की खरीद न कि जाय। फलस्वरूप चावल की लेवी की मात्रा केवल 10 प्रतिशत रखी गयी। डीजल और मिट्टी के तेल वितरण को नियंत्रित करने के लिये भी यथासम्भव कदम उठाये जा रहे हैं। चीनी के उत्पादन में कमी होने के कारण खुले बाजार में उसका मूल्य काफी बढ़ गया। इसका सामना करने के लिए सस्ते गल्ले की दुकानों से निर्धारित मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिये प्रभावी कदम उठाये गये हैं और चीनी की वितरण व्यवस्था पुनः लागू की गयी है। चोर बाजारी और मुनाफाखोरी रोकने की दिशा में कुछ समय पूर्व केन्द्रीय सरकार ने एक

अध्यादेश जारी किया था जिसका इस राज्य में स्वागत किया गया। यह हर्ष का विषय है कि वर्तमान केन्द्रीय सरकार उक्त अध्यादेश को अधिनियमित करने जा रही है।

18—सहकारिता के माध्यम से कृषि ऋण, कृषि निवेशों की आपूर्ति, ग्रामीण गोदामों एवं शीतगृहों के निर्माण, खाद्यान्नों के क्रय-विक्रय तथा आवश्यक वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण, आदि के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में 4,000 कृषक सहकारी समितियां बनाया जाना प्रस्तावित था जिनमें से वर्ष 1979–80 के अन्त तक 1,373 समितियों का गठन हो जायगा। मेरी सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि आगामी वर्ष में लगभग एक हजार और ऐसी समितियां बन जायें। यह समितियां बीज और उर्वरक की आपूर्ति, मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों की खरीद आदि का कार्य करेंगी और सामान्य रूप से अपने क्षेत्र में "मिनी बैंक" के रूप में ऋण वितरण का कार्य भी करेंगी।

19—ग्रामीण क्षेत्र के अधिकाधिक निवासी गाँव सभाओं के निर्वाचन में भाग ले सकें, इस उद्देश्य से पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन कर मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है।

20—प्रदेश की आर्थिक उन्नति, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर निर्भर है। अतः मेरी सरकार अधिक से अधिक गाँवों को सम्पर्क मार्गों द्वारा पक्की सड़कों से जोड़ कर आवागमन की सुविधा देने के लिये प्रयत्नशील है। चालू वित्तीय वर्ष में नवम्बर, 1979 तक 10,000 किलोमीटर से अधिक सम्पर्क मार्गों का निर्माण हो चुका है। इसके अतिरिक्त सर्वसाधारण को उपलब्ध परिवहन सुविधाओं को सस्ता बनाने और बढ़ी हुई यातायात की आवश्यकताओं को देखते हुए कतिपय प्रकार की गाड़ियों को ठेका गाड़ी (मोटर कैब) के परमिट दिये जाने के लिये प्राधिकृत कर दिया गया है। अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर यात्री गाड़ियों को उदारतापूर्वक परमिट दिये जाने का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है। विकलांगों को परिवहन निगम की बस सेवा में यात्रा करने के लिये पचास प्रतिशत की छूट दी गयी है। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के उपलक्ष्य में 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की यात्रा निःशुल्क कर दी गयी है।

21—नगरों में कम्पोस्ट प्लान्ट्स की स्थापना की योजना बनायी गयी है। कानपुर में एक ऐसा प्लान्ट स्थापित किया जा चुका है और अगले वर्ष तक 4 अन्य बड़े नगरों में भी यह स्थापित हो जायेंगे। इनकी स्थापना के लिये राज्य सरकार द्वारा 33 प्रतिशत का अंश दान दिया जा रहा है। इस वर्ष हरिद्वार के अर्ध-कुम्भ मेले में लगभग 40 लाख यात्रियों के भाग लेने की आशा है। इन यात्रियों की सुख सुविधा हेतु हर की पैड़ी में गंगा के घाट को चौड़ा किया जा रहा है, दो बाई पास रोड बनाई गयी है तथा एक नये पुल का निर्माण किया गया है।

22—मेरी सरकार सदैव इस बात के लिये प्रयत्नशील रही है कि औद्योगिक विवादों को यथासम्भव संराधन प्रक्रिया द्वारा तय कराया जाय और यदि विवाद उससे तय न हो सके तो उन्हें अभिनिर्णय के माध्यम से तय कराया जाय। बंधित श्रमिक प्रथा के उन्मूलन तथा बंधित श्रमिकों के पुनर्वासन के कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरी सरकार के प्रयासों में औद्योगिक वातावरण में पर्याप्त सुधार हुआ है। वर्ष 1978 में नवम्बर माह तक 229 हड़तालें तथा तालाबन्दी हुई थीं और उससे हुये कार्य दिवसों की हानि 25.48 लाख थी। वर्ष 1979 में इस अवधि में केवल 160 हड़तालें तथा तालाबन्दी एवं 11.12 लाख कार्य दिवसों की हानि हुई।

23—बंदियों की चिकित्सा सुविधा में पर्याप्त सुधार किया जायगा। कारागारों में राजनैतिक बंदियों की एक श्रेणी सृजित करने तथा विभिन्न बन्दियों को उच्च, विशेष और साधारण श्रेणी में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

24—स्टाम्प शुल्क की अपवंचना को रोकने के लिये सरकार द्वारा राष्ट्रीय बैंकों, निगमों, सरकारी कम्पनियों आदि को भी सार्वजनिक कार्यालय घोषित करने के उद्देश्य से स्टाम्प अधिनियम में संशोधन करने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। लेखपत्रों के निबन्धन की वर्तमान प्रणाली में पाये गये दोषों तथा उससे हो रही परेशानी को दूर करने के प्रश्न पर भी सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

25—प्रदेश के बड़े नगरों में विशेषकर कानपुर में मलिन बस्तियों की समस्या अत्यन्त विकट है। इस समस्या के निराकरण हेतु शासन द्वारा कई योजनायें चलायी जा रही हैं। विश्व बैंक की सहायता से कानपुर नगर के विकास हेतु कई करोड़ रुपयों की अनुमानित लागत का एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। इसके सम्बन्ध में विश्व बैंक मिशन की टीम के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन से बड़ी संख्या में भूखण्डों को विकसित किया जायगा तथा कानपुर नगर की मलिन बस्तियों के हजारों परिवार लाभान्वित होंगे।

26—प्रदेश के दुग्धशाला विकास के कार्यक्रमों को तीव्र गति देने हेतु उसे सहकारी ढांचे पर आधारित कर लिया गया है तथा इसे और सुदृढ़ किया जा रहा है। मत्स्य उद्योग को विकसित करने के लिये एक मत्स्य विकास निगम की स्थापना की जा रही है।

27—सीमित संसाधनों के बावजूद हमारी सरकार जन साधारण तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की जनता के लिये अधिकाधिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के लिये प्रयत्नशील है। स्वास्थ्य बजट के निर्धारित परिव्यय का लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों पर व्यय किया जा रहा है। तात्कालिक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिये प्रदेश में 542 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति की जा चुकी है। भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी का भी पर्याप्त विकास किया जा रहा है। यह हर्ष का विषय है कि हमारा प्रदेश महामारी से पूर्णतः मुक्त है।

28—राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार हमारे प्रदेश में वनों का भौगोलिक क्षेत्रफल काफी कम है। इस कमी को पूरा करने के ध्येय से प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में विश्व बैंक की सहायता से एक 'सामाजिक वानिकी परियोजना' कार्यान्वित की जा रही है। आगामी वर्षों में इसका और विस्तार किया जायगा।

29—मेरी सरकार प्रशासकीय तंत्र को और अधिक चुस्त तथा दक्ष बनाने के लिये प्रयत्नशील है। सत्ता के विकेन्द्रीकरण की नीति के अन्तर्गत इस बात पर बल दिया जा रहा है कि अधिकारों का उच्च स्तर से निम्न स्तर पर अधिकाधिक प्रतिनिधान किया जाय ताकि प्रशासन जनता के अधिकाधिक निकट आये। विकेन्द्रीकरण की नीति के अनुसरण में जिला मुख्यालय पर तैनात परगनाधिकारियों को तहसील मुख्यालयों पर स्थानान्तरित कर दिया गया है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये 20 करोड़ की लागत से अधिकारियों तथा उनसे सम्बद्ध कर्मचारियों के लिये तहसीलों पर कार्यालय तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु योजना बनाई गई है।

30—यह हर्ष का विषय है कि विगत वर्ष में विभिन्न कारणों से उत्पन्न तनावों के बावजूद प्रदेश की पुलिस अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निष्पक्षता से कार्यवाही करते रहने के अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रही। देश के विभिन्न भागों में पुलिस जनों के बीच अशान्ति एवं अनुशासनहीनता का एक वातावरण उत्पन्न हुआ। यह गर्व की बात है कि प्रदेश की पुलिस इन उत्तेजनात्मक घटनाओं से विचलित नहीं हुई और अपने उत्तरदायित्व को अनुशासन और निष्ठा के साथ निभाती रही। साथ ही हमारी सरकार ने पुलिस जनों की सुख-सुविधा की ओर बराबर ध्यान दिया। अपराधों में कमी लाने के लिये अपराधियों के विरुद्ध और अधिक सक्रियता से कानूनी कदम उठाये जा रहे हैं।

31—राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये एक-एक वेतन आयोग नियुक्त किया है। इन दोनों

आयोगों से अपेक्षा की गयी है कि वे अपनी संस्तुतियाँ 15 जुलाई, 1980 तक शासन को भेजें। शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि विभिन्न निगमों के कर्मचारियों के वेतन आदि के प्रश्न को भी वेतन आयोग के विचार क्षेत्र में रखा जाय।

32—विगत सत्र में आपने छोटे-छोटे फौजदारी मुकदमों के शमन तथा उपशमन के संबंध में एक विधेयक पारित किया था, जिस पर राष्ट्रपति की अनुमति मिल गयी है। इसके कार्यान्वयन के फलस्वरूप बड़ी संख्या में छोटे-छोटे मामलों के मुकदमों का शीघ्र निस्तारण हो जायगा और लम्बित वादों की संख्या काफी कम हो जायेगी। लखनऊ में मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत लम्बित वादों के निस्तारण के लिये एक विशेष योजना चलायी गयी है। उस के अनुसार वादकारियों द्वारा नोटिस की प्राप्ति पर बिना न्यायालय जाये हुये ही जुर्माने की धनराशि भेजने या जमा करने पर मुकदमा समाप्त हो जाता है। इस योजना को वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ व गाजियाबाद में भी लागू किया जा रहा है। बड़े जिलों में जहाँ कार्य अधिक है, फोटोकापियर मशीनें उपलब्ध की गयी है जिससे वादकारी जनता को सुविधा हो। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध सहायता से 132 न्यायालयों की भी स्थापना की जा रही है। प्रदेश के कुछ जिलों में वक्फ के सर्वेक्षण का कार्य पहले से चल रहा था। वर्ष 1979 में 12 अन्य जिलों में भी इस कार्य का विस्तार कर दिया गया है।

33—वर्तमान अधिवेशन एक अल्प अवधि के लिए बुलाया गया है। इस अवधि में कतिपय महत्वपूर्ण विधायी कार्य जैसे, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980, उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980, उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1980, आदि को पारित करने की आप से अपेक्षा की जायगी।

34—माननीय सदस्यगण, हाल ही में देश में शाँतिपूर्ण ढंग से लोक सभा के चुनाव सम्पन्न हुये हैं। मैं उनके लिये चुनाव कार्य में रत पुलिस तथा अन्य सभी कर्मचारियों और जनता को बधाई देता हूं। मेरी सरकार का यह आदर्श एवं उद्देश्य है कि देश में लोकताँत्रिक परम्परा चिरस्थाई रहे। देश की स्वतंत्रता के लिये जो कुर्बानियाँ की गई और राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की विचारधारा का जन-मानस पर जो संस्कार पड़ा उससे देश में लोकताँत्रिक परम्परा सुदृढ़ हुई। यह अत्यन्त संतोष का विषय है कि भारत के जन मानस की बुद्धि अत्यन्त परिपक्व है और वृहत् राष्ट्रीय हित में सूझ-बूझ के साथ निर्णय करती है। हाल ही में हुये आम चुनावों में जहाँ मतदाताओं ने केन्द्र में एक स्थिर सरकार दी वहाँ हमारे प्रदेश के मतदाताओं ने केन्द्र को एक सबल प्रतिपक्ष, जिसका प्रजाताँत्रिक प्रणाली में अपना महत्व है, बनाने में योग दान दिया। मेरी सरकार का यह भी निश्चित मत है कि राजनैतिक क्षेत्र में लोकतंत्र के आदर्शों को सुदृढ़ बनाये रखने के लिये प्रतिपक्ष की भूमिका भी अनिवार्य है। मेरी सरकार चुनाव में व्यक्त जनमत का आदर करती है। सीटों के आँकड़े तो एक साँख्यकीय पहेली हैं किन्तु संख्या से अधिक महत्व आदर्शों तथा भावनाओं का है। हमारी संस्कृति सहिष्णुता तथा विभिन्न विचार धाराओं का समुचित आदर करने के सिद्धान्त पर आधारित है। चुनाव में हार जीत की अपेक्षा देश का हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार को पूर्ण आशा है कि प्रदेश के विकास के लिये वह केन्द्रीय सरकार से यथावत् सहयोग और सहायता पाती रहेगी।

35—माननीय सदस्यगण, आने वाला समय बड़ा कठिन है। मुझे आशा है कि आप सब कटिबद्ध होकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे। लोकतांत्रिक सिद्धान्तों में अटूट विश्वास के साथ जनता के प्रति अपने कर्त्तव्यों को तत्परता से निभाने में आप सफल हों, इसकी मैं कामना करता हूं।

जयहिन्द।

पी0 एल0 यू0 पी0—एल0—1?3 विधान सभा (249)—1981—813।